

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

1 दिसम्बर, 2004

खण्ड 4, अंक 1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1) 1
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 6
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मैत्र पर रखे गये तारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1) 22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं	(1) 32
वाक आउट	(1) 40
घोषणाएं—	(1) 40
(क) अध्यक्ष द्वारा—	
(i) चैयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1) 40
(ii) याचिका समिति	(1) 40
(iii) सदस्यों की निरहंता	(1) 41
(iv) हरियाणा के राज्यपाल से संदेश बारे	(1) 41

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री संतवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच के अरसे में इस प्रदेश के कुछ सम्मानित व्यक्तित्व और कुछ सम्मानित सदस्य, एक-सर्विसमैन तथा कुछ वीर सैनिक इस दुनिया से चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए इस सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अमर सिंह धानक, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री अमर सिंह धानक के 27 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 अप्रैल, 1930 को हुआ। वे वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्ष 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982-83 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे सितम्बर 1984 से जून 1986, दिसम्बर 1986 से जून 1987 तथा सितम्बर 1994 से मई 1996 तक मंत्री रहे। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सुरजीत कुमार धीमान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरजीत कुमार धीमान के 20 अक्टूबर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मई, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हंस राज शर्मा, पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज शर्मा के 30 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 फरवरी, 1924 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह दो बार तत्कालीन पैंप्सु विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1958-1962 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वह वर्ष 1972 और 1977 में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये। वह वर्ष 1972-1977 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री विलायती राम छिब्र, अम्बाला।
2. श्री भूरा सिंह, गांव चांगरोड़, जिला भिवानी।
3. श्री आदराम, गांव मतानी, जिला भिवानी।
4. श्री इन्द्र सैन रिषी, जगाधरी, जिला यमुनानगर।
5. श्री बीरबल दास, गांव जै-जैवंती, जिला जींद।
6. श्री होराम खटाना, गांव लौहटकी, जिला गुडगांव।
7. श्री कर्ण सिंह, गांव फिरोजपुर बांगर जिला सोनीपत।
8. श्री रती राम गोदारा, गांव ओढ़ा जिला सिरसा।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. निरीक्षक साधुराम, गांव खेड़ी शहीदा, जिला कुरुक्षेत्र।
2. नायव सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव मथुरेड़ी, जिला गुड़गांव।
3. इयलदार सतपाल, रायपुररानी, जिला पंचकूला।
4. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव घोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
5. सिपाही राजकुमार, गांव कौथलकलां, जिला महेन्द्रगढ़।
6. सिपाही रामनिवास, गांव नावदा की ढाणी, जिला महेन्द्रगढ़।
7. सिपाही मनीष यादव, गांव मुरारीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
8. सिपाही श्यामलाल, गांव मौर सैदा, जिला कुरुक्षेत्र।
9. सिपाही मनीष, गांव रामगढ़, जिला जीन्द।
10. सिपाही प्रीत सिंह, गांव छिल्लर, जिला भिवानी।
11. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव महमूदपुर माजरा, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के विधायक श्री रमेश खटक की माता श्रीमती ज्ञानों देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और आज के सत्र के बीच मैं बहुत सारे महानुभाव इस संसार को छोड़कर चले गये हैं। पहले भी इनका उल्लेख परिषदी के अनुसार सदन में होता रहा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ।

श्री अमर सिंह धानक जोकि हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, मैं उनके 27 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 7 अप्रैल 1930 को हुआ। वे वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्ष 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982-83 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे सितम्बर 1984 से जून 1986, दिसम्बर 1986 से जून 1987 तथा सितम्बर 1994 से मई 1996 तक मंत्री रहे। वे एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और वे मेरे पिता स्वर्गीय राव अमय सिंह के साथी भी रहे। उन्होंने हमेशा गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

इसी तरह से मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्री सुरजीत कुमार धीमान जोकि हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, के 20 अक्टूबर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 5 मई, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी प्रकार से मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज शर्मा के 30 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 23 फरवरी, 1924 को हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह दो बार तत्कालीन पैंप्सु विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1958-1962 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वह वर्ष 1972 और 1977 में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये। वह वर्ष 1972-77 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से उन श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :- श्री विलायती राम छिब्वर, अम्बाला, श्री भूरा सिंह गांव चांग रोड जिला भिवानी, श्री आदराम, गांव मतानी जिला भिवानी, श्री इन्द्र सैन रिषी, जगाधरी, जिला यमुनानगर, श्री बीरबल दास गांव जै-जैवती, जिला जींद, श्री होराम, खटाना, गांव लौहटकी, जिला गुड़गांव श्री कर्ण सिंह गांव फिरोजपुर बांगर, जिला सोनीपत, श्री रती राम गोदारा, गांव ओढ़ा, जिला सिरसा। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से शत-शत नमन करता हूँ। इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं- निरीक्षक साधुराम, गांव खेड़ी शहीदा, जिला कुरुक्षेत्र, नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पथरेड़ी, जिला गुड़गांव, हथलदार सतपाल, रायपुररानी जिला पंथकूला, सिपाही कृष्ण कुमार, गांव धोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही राजकुमार, गांव कोथलकला, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही रामनिवास, गांव नावदा की ढाणी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही मनीष यादव गांव मुरारीपुर जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही श्यामलाल गांव भोर सेदा, जिला कुरुक्षेत्र, सिपाही मनीष गांव रामगढ़, जिला जींद, सिपाही प्रीत सिंह, गांव छिल्लर, जिला भिवानी, सिपाही कुलदीप सिंह गांव भहमुदपुर माजरा, जिला झज्जर। इन महान वीरों की शहादत

पर मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से इन्हें शत-शत नमन करता हूँ और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी तरह हरियाणा विधान सभा के विधायक श्री रमेश खटक की माता श्रीमती ज्ञानो देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विपक्ष की ओर से जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। पिछले सेशन और इस सेशन के बीच मैं हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियाँ चली गई हैं। सबसे पहले मैं इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य तथा मंत्री श्री अमर सिंह धानक के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे संयुक्त पंजाब विधान सभा में पहली बार 1962 में सदस्य बने थे। उसके बाद हरियाणा विधान सभा में भी वे तीन बार सदस्य चुनकर आये। 1982-83 में वे मुख्य संसदीय सचिव रहे तथा 1986-87 और सितम्बर, 1994 से मई, 1996 तक मंत्री रहे। वे एक बहुत ही अनुभवी विधायक थे और हमेशा गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कार्यरत रहते थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक को खो दिया है।

श्री सुरजीत कुमार धीमान 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे। वे एक योग्य विधायक थे जो समाज सेवा के लिए निष्ठावान थे।

पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज शर्मा जी के कल हुए दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पेंसु विधान सभा के सदस्य रहे। वे पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे और 1958-62 में मुख्य संसदीय सचिव रहे तथा 1972-77 में मंत्री रहे।

इनके अतिरिक्त हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो नाम लिए हैं इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के हुए दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। कोई भी देश स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को भूल नहीं सकता क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें आजादी मिली थी और न ही हम अपने वीर शहीदों को भूला सकते जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। इन लोगों को श्रद्धांजली देने का यही एक तरीका है कि हम देश की सेवा पूरे तन मन से करें। इनके निधन से देश सच्चे देश भक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों की सेवाओं से वंचित हो गया है। ऐसे वीर शहीदों के बलिदान से देश की अखण्डता बनी हुई है और हरियाणा के वीर किसी भी तरीके से दूसरे प्रदेशों के वीरों से कम नहीं हैं।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रमेश खटक की माता श्रीमती ज्ञानो देवी के दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूँ। (इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मेम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Reduction of Stamp Duty

*1856. **Sh. Padam Singh Dahiya** : Will the Minister of State for Revenue be pleased to State whether it is a fact that the State Government has reduced the stamp duty in the Urban and Rural Areas; if so, the effect thereof on the State Exchequer ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी हाँ। दिनांक 25-2-2004 से स्टाम्प शुल्क, शहरी क्षेत्रों में 15½ प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 12½ प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत कर दिया गया है। जहां तक राज्य के कोष पर प्रभाव का सम्बन्ध है, अभी तक राज्य सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मास मार्च 2004 से सितम्बर 2004 तक गत वर्ष की तुलना में इससे 50.88 करोड़ रु० की अधिक आय हुई है।

श्री रणधीर सिंह मन्दौला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपूरक प्रश्न के माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या ट्रेक्टर और ट्रैक्टर के इलाया भी किसानों के लोन की स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है ?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया है कि समय-समय पर कीमतें बढ़ रही हैं और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और दूसरी चीजें जो खेती से जुड़ी हुई हैं उनकी स्टैम्प ड्यूटी पीछे से ही अदा की जाती रही है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर सर, हरियाणा सरकार की तरफ से समय-समय पर पिछले 20 साल पुराने बाढ़ के रूप में या सूखे के रूप में कुदरत की तरफ से प्रकोप आता रहा है उनका रैन सरकार के कोष से सहायता के रूप में तकावी के ऋण के रूप में दिया जाता रहा है ऐसे हालात हो गये थे कि किसान तकावी के ऋण को अदा करने में असमर्थ हो गये हैं उनकी भावना को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे चलकर तकावी के ऋण को माफ करने का काम किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1854

(इस समय माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Construction of Over Bridge

*1853. **Sh. Nishan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct over bridge on the Railway Crossing on Hissar-Patiala road at Tohana; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री निशान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हिसार से पटियाला जाने वाली सड़क के बारे में है जिसके ऊपर टोहाना रेलवे क्रॉसिंग है, उस सड़क के ऊपर हैवी ट्रैफिक है और रेलवे ट्रैफिक

भी उस पर बहुत ज्यादा है, फास्ट ट्रेक होने की वजह से वहाँ काफी ट्रेनें आती जाती हैं। मेरा प्रश्न है कि उस पर ओवर फ्लाई बनाया जाए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय, से अनुरोध है कि इस ओवर फ्लाई को बनाने पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने फ्लाई ओवर बनाने के लिए जो सवाल किया है उसका जवाब तो नहीं में है फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहता हूँ कि 17 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिनमें से 8 के फाउंडिंग स्टोन रखे गए हैं और बाकी के सभी फ्लाई ओवर प्रोसेस में हैं। किसी का एस्टीमेट बन गया है तो किसी के लिए रेलवे विभाग से सम्पर्क किया गया है क्योंकि रेलवे विभाग की तरफ से भी इसमें 50 प्रतिशत पैसा दिया जाता है और 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट का शेर होता है। इसलिए पुलों पर इस सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया गया है और यह पहली बार हुआ है कि 17 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है जिस पर 182 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इसी प्रकार से अन्य 42 बड़े पुल और भी बने हैं जिन पर 36 करोड़ 98 लाख रुपये खर्च हुए हैं इसी प्रकार से 25 पुल और बनाए गए हैं जिनमें कुरुक्षेत्र का टू लेन उपरी मार्ग है जो बी०ओ०टी० आधार पर बनाया गया है और करनाल से अम्बाला का राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी है। 25 पुलों पर 27 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार पुलों पर इस सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसका सर्वे किया जाता है। जिस सड़क पर ज्यादा आवागमन है उसको पहले टेक अप करके गवर्नमेंट विचार करती है इसलिए मेरे माननीय साथी का जो प्रश्न है उसके जवाब में तो ना है। वैसे पूरे प्रदेश में पहली बार ओवर फ्लाई बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं, काम किए गए हैं और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

Strengthening of Transmission System

***1855. Sh. Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken to strengthen the transmission system in the State ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : राज्य में प्रसार प्रणाली को एक विस्तृत प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई 1999 से 25-11-2004 के दौरान 766.49 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 111 नये ग्रिड उपकेन्द्रों को चालू किया जा चुका है, 302 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है तथा 1777 किलोमीटर लम्बी प्रसार लाइनों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 75 नये उपकेन्द्रों पर निर्माण तथा 75 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन उप-केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है या नए उप-केन्द्रों का निर्माण किया गया है उसमें 33 के०वी०ए० के उप-केन्द्र कितने हैं और 66 के०वी०ए० के उप-केन्द्र कितने हैं और 132 के०वी०ए० के कितने हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 1999 से लेकर अब तक के जो उप-केन्द्र बनाए गए हैं या जिनकी क्षमता बढ़ाई गई है अगर मैं उनके बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि इसकी बहुत लम्बी लिस्ट है इसलिए संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि टोटल 111 नए उप-केन्द्र बनाए गए हैं और 302 उप-केन्द्रों की

[श्री रामपाल माजरा]

क्षमता बढ़ाई गई है तथा 1777 किलोमीटर नई प्रसार लाइनें जोड़ी गई हैं जिन पर 766.49 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ।

Providing of Electricity Relief

*1852. Sh. Paran Singh Dabra : Will the Chief Minister be pleased to state the electricity relief if any, given to the consumers in the State during the current financial year; if so, the number of beneficiaries thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां श्रीमान। कृषि नलकूपों के लिये नलकूप की गहराई पर आधारित वर्तमान विजली दरें संशोधित कर दी गई हैं तथा 15 अगस्त, 2004 से इसे कम करके समान दर नलकूपों के लिए 35/- रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रतिभास तथा मीटर वाले नलकूपों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट किया जा रहा है जिससे लगभग 3.85 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब से मैं यह जानना चाहूंगा कि किस-किस जिले में कितने-कितने उपभोक्ताओं को इससे फायदा हुआ है ?

श्री रणवीर सिंह मंदौला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न के द्वारा चीफ पार्लियामेंट सिक्रेटरी महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकारें जो 104 रुपये डीप ट्यूबवैलज के प्रति हांस पावर के हिसाब से बिल लिया करती थी उसको अब कम करके 35 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से मीटर्ड ट्यूबवैलज के प्रति यूनिट 25 पैसे किया गया है। इससे पूरे प्रदेश के किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जिस प्रकार से हमारे साथी पूर्ण सिंह डाबड़ा ने जिलेवार जानकारी चाही है तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला में 17308, पंचकुला में 2425, समानानगर में 23404, कुरुक्षेत्र में 36732, कैथल में 32569, करनाल में 56066, पानीपत में 24680, सोनीपत में 17087, जींद में 17221, रोहतक में 2102, झज्जर में 5710, फरीदाबाद में 13162, गुड़गांव 25727, गहेन्द्रगढ़ में 24810, रिवाड़ी में 23849, भिवानी में 18504, हिसार में 5531, फतेहाबाद 18196, सिरसा में 19260 उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 384343 उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है और मेरे माननीय साथी मंदौला साहब ने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इससे 138 करोड़ रुपये का सीधा फायदा पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को हुआ है।

श्री कृष्ण लाल पंचार : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न से रिलेटिड प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 24 जुलाई, 1999 से अब तक कितने नलकूपों को कनेक्शन दिए गए हैं और कितने नलकूपों के कनेक्शन के लिए टैस्ट चैक और डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं तथा उनको कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे क्या इस बारे में सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि सरकारी तौर पर इस बात की घोषणा कर दी गई कि दीनबन्धु स्वर्गीय श्री छोटू राम जी की 124वीं जयन्ती के अवसर पर पूरे प्रदेश के किसानों को राहत मिल सके। क्योंकि हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश की आसानी का एक

मात्र साधन खेती ही है। किसानों को राहत देने का काम दीनबन्धु श्री छोट्टू राम जी द्वारा किया गया था और उनके अधूरे काम को पूरा करने में स्वर्गीय चौधरी बेदी लाल जी का विशेष योगदान रहा था। वह किस्मतों से भीख-भीख में ऐसे महानुभाव वक्ता में आते रहे जो संयोग से आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इनको इकट्ठा बैठाया। (शोर एवं व्यवधान) इन दोनों को एक-एक कान से सुनता है, दोनों को आपने इकट्ठा कर दिया अब एक दूसरे से नहीं पूछेंगे। कानों-कान इन्होंने देश को बरबाद करने का काम किया और अब ये लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी मेरी इजाजत के बिना जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारी सरकार बनने के बाद हमने 47 हजार नलकूपों के नए कनेक्शन दिए हैं। जब ये दोनों मुख्यमंत्री थे तो इनके एक के वक्त में तो 10 हजार और दूसरे के वक्त में 8 हजार नलकूपों के कनेक्शन दिए गए थे। अब हमने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2005 से हरियाणा प्रदेश का कोई भी कृषक अगर अपनी टैस्ट रिपोर्ट मुकम्मल करा देगा और सिक्कोरिटी जमा करवा देगा तो उसको तुरन्त कनेक्शन दे दिया जायेगा। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी सारी फार्मलिटिज पूरी कर देगा तो 1 जनवरी 2005 के बाद किसी का कोई कनेक्शन पैण्डिंग नहीं रहेगा।

Repair of School Buildings

*1857. Sh. Lila Ram : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the school buildings in the State, if so, the details thereof.

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह) : जी, हां। 2665 प्राथमिक विद्यालयों, 507 माध्यमिक विद्यालयों, 1050 उच्च विद्यालयों तथा 556 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (कुल 4778 विद्यालयों) के मरम्मत की चालू वित्त वर्ष 2004-2005 में 59.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मरम्मत कराने का मामला प्रस्तावित है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। मौजूदा हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा प्रणाली लागू की है और जो स्कूल बकाया रह गए हैं उनमें भी कम्प्यूटर की शिक्षा को लागू किया जायेगा। इसी प्रकार से पहली कक्षा से बच्चों को बेंचों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा हर जिले में इन्जीनियरिंग कालेज खोला गया है या खोले जाने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस वर्ष 4778 स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की जायेगी। इसी सम्बन्ध में मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कैथल जिले में मेरे हल्के के गांव सीला खेड़ा, डेरा गुरजर सिंह, करतारपुर, नीमवाला, गुहना, व देवला आदि स्कूलों की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उन स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत तुरन्त की जाये।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्यामंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अद्यतन कराना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार नीतिगत निर्णय लेती है। हमारी सरकार ने पुरानी रिवायत को समाप्त कर दिया है। पहले जाति के आधार पर, ग्राम के आधार पर, या और किसी आधार पर या पैसे देकर स्कूल अपग्रेड किए जाते थे। जबकि हमने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए नामर्ज बनाए हैं। हमारी पॉलिसी यह है कि जो भी स्कूल निर्धारित नामर्ज पूरे कर देगा उसको उसी वक्त अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कहीं पर कोई ब्रांच खोलने की आवश्यकता होगी तो वह भी खोल दी जायेगी और यदि पहले से ही कोई ब्रांच चल रही है तो उसको प्राईमरी स्कूल में कन्वर्ट किया जायेगा। (बिघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तथा हरियाणा गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि राज्य भर में आजादी के बाद पहली बार शिक्षा के बजट में विशेष कर गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है और शहीदों तथा महापुरुषों के नाम पर शिक्षण संस्थान खोलने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के रूप में वित्तवर्ष 2004-05 में 59.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रिपेयर के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष महोदय, शहीद कन्या महा विद्यालय, बहीन का भवन बनाया जाना है। यह स्कूल एक शहीद के नाम पर है और इस विद्यालय में काफी छात्राएं पढ़ती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विद्यालय के भवन की मुरम्मत का कार्य प्रस्तावित राशि में से करवाया जाएगा ?

श्रीधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि जिन स्कूलों की मुरम्मत की जानी है इनके द्वारा बताया गया स्कूल इसमें शामिल है या नहीं है इस बारे में मुझे इस समय तो पता नहीं है लेकिन इसको हम देख लेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल, नाहड़ के स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी के बेटे भी वहां पर गए थे। (बिघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप यह बताएं कि नाहड़ का स्कूल कब बना था ?

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल तो जब हम पैदा हुए थे उस वक्त का बना हुआ है। दूसरे कोसली में प्राईमरी स्कूल की बिल्डिंग का मामला है। (बिघ्न)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, जैसे तो सरकार ने बड़े ही सराहनीय कार्य किये हैं और लगभग 60 करोड़ रुपये स्कूलों की बिल्डिंगों की रिपेयर के लिए रखे हैं। गांवों और शहरों में कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो प्राईवेट बिल्डिंगों में या प्राईवेट संस्थाओं की बिल्डिंगों में चल रहे हैं और उन बिल्डिंगों की हालत काफी खराब है। पिछले 25-30 साल से इन बिल्डिंगों की मुरम्मत नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्राईवेट बिल्डिंगों में या प्राईवेट

संस्थाओं की स्कूलों की बिल्डिंगों में जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं क्या उन बिल्डिंगों की रिपेयर करवाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों की हैं उन्हीं की मुरम्मत करवाई जाएगी प्राइवेट बिल्डिंगों की मुरम्मत करवाने का कोई मामला सरकार के विचारधीन नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नीजुदा सरकार की नीति यह है कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनती उनके लिए किराये की बिल्डिंग लेकर उनमें स्कूल चलाए जाते हैं। मैं यहां पर सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि न केवल स्कूलों की बिल्डिंग की मुरम्मत करवाई जा रही है बल्कि हरियाणा सरकार का यह फैसला है कि जितने भी स्कूल गांवों में चल रहे हैं उन सब की मुरम्मत हम करवा रहे हैं। गांवों और शहरों में जितनी भी बिल्डिंगें हैं चाहे वे सरकारी हैं या लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनाई हैं और गांवों और शहरों में हरिजन चौपालें हैं या दूसरी चौपालें हैं उन सब की मुरम्मत करवाई जाएगी। जिलनी भी सड़कें टूटी हुई थीं। उनकी मुरम्मत पहले भी करवाई थी और अब भी जहां जरूरत है वहां पर पैरिस जैसी सुन्दर और बढ़िया सड़कें बनाई जाएंगी।

(इस समय चौधरी भजन लाल तथा चौधरी बंसी लाल जी अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीटों पर बैठें और जब भी बोलना हो चेयर की परमिशन लेकर बोलें। बोलने से पहले आप इजाजत लें और यह बताएं कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं और इजाजत लेकर ही बोलें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अब ये कांग्रेस में इक्के हुए हैं पहले तो इनको मौका मिला नहीं और पिछली बार ये सेशन में आए ही नहीं। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी तथा चौधरी बंसी लाल जी आज एक साथ बैठ रहे हैं। और यह बड़ी दिक्कत की बात है जब टिकटों के बंटवारे की बात आएगी तो इन्हें बड़ी दिक्कत होगी। वैसे तो यह कांग्रेस का मामला है ये खुद ही निपटें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप चेयर की परमिशन के बिना बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं होगी इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आप फ्लोर आफ दि हाऊस यह आश्वासन दो कि अगर आपको टिकट बांटने का जिम्मा मिला तो आप चौधरी बंसी लाल जी को टिकट अवश्य देंगे। आप यह आश्वासन दो। (शोर)

चौधरी भजन लाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Opening of Government Girls College at Nilokheri

*1863. Sh. Dharam Pal (Nilokheri) : Will the Minister of State for Education be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College at Nilokheri; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

शिक्षा राज्य मंत्री, (श्री० बहादुर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

श्री अध्यक्ष : धर्मपाल जी, आप अपनी सप्लीमेंटरी पूछें। (शोर) क्या आप मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट हैं।

श्री धर्मपाल : जी हाँ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कुंगड़ गाँव है। वहाँ पर बाढ़ आई थी और सारे गाँव में पानी भर गया था लेकिन वहाँ पर सरकार ने किसी की कोई सुध नहीं ली।

श्री अध्यक्ष : फौजी जी, आप बैठ जाएं। आपका प्रश्न कंसन्ड प्रश्न से मेल नहीं खाता है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो स्कूल था वहाँ पर भी पानी भर गया था और उस स्कूल की बहुत बुरी हालत है।

श्री अध्यक्ष : फौजी जी, आप बैठ जाएं। पानी भर गया और निकल गया। वहाँ पर बिल्डिंग तो ठीक है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि उस बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर) बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें भी सप्लीमेंटरी पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, जिस मੈम्बर का सवाल है वह सैटिसफाईड हैं। (शोर) भोगी राम जी आप अपना प्रश्न पूछें। (शोर)

Old age/Widow pension

*1878. Sh. Bhagi Ram : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the amount of old-age pension and widow pension; and
- (b) if so, the details thereof together with the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) :

(क) श्रीमान् जी वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत 1-11-2004 से पेंशन 200/-रु० प्रतिमास से बढ़ाकर 300/-रु० प्रतिमास हाल ही में की गई है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत 300/-रु० प्रतिमास की 1-11-2004 से संशोधित दरों पर स्वीकृत पेंशन की राशि का मुगलान दिसम्बर, 2004 में किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो मेन सवाल पेंशन के बारे में पूछा है कि क्या पेंशन में बढ़ौतरी का मामला सरकार के विचाराधीन है या इस बारे में सरकार कोई सर्वे करवाएगी? इस बारे में मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1987 में चौधरी देवी लाल जी ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए 100 रुपए प्रतिमास के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी। लेकिन चौधरी भजन लाल जी की जब इकुमत आई तो उस समय कुछ न कुछ नुकते निकाल कर बहुत से लोगों को पेंशन लेने से मोहताज़ कर दिया था। उसके बाद जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने भी ऐसा ही काम किया। (शोर) हमने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी चाहे उसमें कोई जमींदार हो, व्यापारी हो, सेठ हो और चाहे किसी का बच्चा मुलाजिम हो या न हो, सभी को पेंशन देने का काम शुरू किया गया था। लेकिन भजन लाल जी ने पांच एकड़ जमीन का बहाना लेकर, चाहे किसी का बच्चा जपरासी लगा हुआ हो और इन्कम टैक्स का बहाना लेकर बहुत से लोगों की पेंशन बंद करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमारी मौजूदा सरकार के आने के बाद मैंने दिसम्बर, 1999 में, जनवरी-फरवरी, 2000 में, मई-जून, 2002 में और जुलाई, 2004 में सर्वे करवाया। जो इस बारे में पिछला सर्वे करवाया था उसके बाद 100 रुपये से 200 रुपये पेंशन चौटाला साहब ने बढ़ायी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो नया सर्वे हुआ है उसके बाद 200 रुपये से 300 रुपये भी पेंशन ओम प्रकाश चौटाला साहब ने ही बढ़ायी है। इसके अलावा अब जो सर्वे इस बारे में हुआ है तो इसके आधार पर 151945 लोग इसमें और शामिल हुए हैं। अब जो 1-11-2004 के बाद से बैनीफिशरीज को पेंशन की पैमेंट की जाएगी वह 300 रुपये के हिसाब से की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को भी बढ़ाया गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हर लिहाज से जहां निर्माण के कार्य करवाए हैं वहीं उन्होंने समाज कल्याण के कार्यों को भी करवाकर नयी बुलंदियों को छुआ है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्रश्न है और न केवल इस सदन के सम्मानित सदस्यों की उत्सुकता इसकी जानकारी के लिए है बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश इस इंतजार में है कि आया अतीत की सरकारों की तरह सिर्फ घोषणाएं ही हो रही हैं या पेंशन बढ़ भी रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सर्व प्रथम चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन मुकर्रर करने की जब घोषणा की थी तो उस वक़्त चौधरी बंसी लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने इसका विरोध किया था।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल ने तो बहुत देर बाद इसकी घोषणा की थी उससे पहले ही 60 रुपये पेंशन थी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसी लाल जी, आप बड़े सीनियर पोलिटिशियन हैं और बदकिस्मती से आप बड़े अच्छे-अच्छे पदों पर भी रहे हैं इसलिए सदन में कुछ भी कहने से पहले आप स्पीकर साहब से पूछ लिया करो। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल उसके जबाब में कहते थे कि पेंशन नहीं बढ़ायी जा सकती, पेंशन नहीं बढ़ायी जा सकती और अगर पेंशन बढ़ायी जाती होती तो मैं ही न बढ़ा देता। चौधरी देवीलाल जी बाद में जब मुख्यमंत्री बने तो इसी सदन में 100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मुकर्रर की गयी थी। उसके बाद हमारी सरकार धली गयी और कांग्रेस की सरकार आयी। चौधरी भजनलाल जी और चौधरी बंसीलाल जी दोनों मिलाकर साढ़े आठ वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस वक़्त तो इन दोनों के दो दो कान थे लेकिन आज एक एक कान है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सभ्र का तकाजा है इसलिए ऐसा हो जाता है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए। सभ्र का तकाजा है इसलिए ऐसा हो जाता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कैप्टन साहब, तेरी पार्टी ने तो तुझे यहां बिठाने के लायक भी नहीं समझा था वह तो स्पीकर साहब ने तेरे को यह कुर्सी दे दी तो क्या अब तू सभ्र नहीं कर सकता। तुझे तो स्पीकर साहब का अहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने तेरे को यहां पर बिठा रखा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि साढ़े आठ वर्ष तो कांग्रेस की हुकुमत रही और बजाए पेंशन बढ़ाने के इन्होंने तो 101 रुपये भी नहीं किए बल्कि पांच एकड़ धरती वाले मालिक की पेंशन काट दी, जो इन्कम टैक्स पेयी था उसकी पेंशन काट दी और जिसके घर में एक मुलाजिम या चपड़ासी था उसकी भी पेंशन इन्होंने काट दी थी। चूंकि काटावादी तो कांग्रेस की कल्बर में रहा है और बंसीलाल जी जो यहां पर बैठे हैं, उसके सरगना रहे हैं। बंसीलाल जी, मैं 1976-77 की काटावादी की बात कर रहा हूँ।

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी की यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू-शुरू में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांगी थी और चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे टिकट दी थी और मैं इस सदन का सदस्य बनकर आया था। मैं वहां बैठता था और चौधरी बंसीलाल जी यहां बैठते थे लेकिन मैं इनकी बोलती बंद कर दिया करता था। मैं चुसकण नहीं दिया करता था। मैंने इनकी बोलती बंद की थी। (विघ्न)

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय में प्वायंट ऑफ आर्डर तो नहीं उठा सकता लेकिन जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसका इस प्रश्न से तात्लुक क्या है। हमें इस बात पर कोई

ऐलराज नहीं है कि यह पेंशन की बात करें लेकिन जिस तरह से यह बात कर रहे हैं वह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार ने दोबारा चौधरी देवी लाल जी के आगे ही 200 रुपये प्रति मास पेंशन मुक़रर की थी, हमने ही 300 रुपये की और जब फिर दांव लगा तो हम 400 रुपये भी कर देंगे, 500 रुपये भी कर देंगे। यह काम हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिल में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। हम गरीबों को आर्थिक तौर पर सम्पन्न करने के पक्षधर हैं। कांग्रेस तो गरीबों का शोषण करती है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गन्ने के दाम डेढ़ रुपये प्रति क्विंटल की दर से व गेहूँ के दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़े हैं और दूसरी तरफ ईट, सीमेन्ट, बजरी, डीजल, तेल, पेट्रोल के दाम आसमान को छूते चले जा रहे हैं क्योंकि पूंजीपति को पनपाने वाली कांग्रेस इस देश के गरीबों का आर्थिक शोषण करती है।

Providing of Un-employment Allowance

***1858. Sh. Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Un-employment Allowance to the unemployed persons in the State ; and
- (b) if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) श्रीमान् सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी स्कीम पूर्व ही 1-11-88 से अस्तित्व में है हाल ही में 1-11-2004 से सरकार द्वारा इस स्कीम को संशोधित किया गया है।

(ख) संशोधित बेरोजगारी भत्ता स्कीम का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. केवल वही प्रार्थी पात्र होंगे जो मैट्रिक पास या उससे अधिक पढ़े लिखे तथा हरियाणा निवासी हैं।
2. प्रार्थी ने मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी/इन्टर/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से पास की हुई हो।
3. जिन प्रार्थियों का नाम राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पहली नवम्बर (प्रतिवर्ष) को पंजीकृत/चल रहा होगा, यह ही बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

4. प्रार्थी के माता-पिता आयकर दाता न हों अथवा उनके पास रिहायशी या कामशियल सम्पत्ति 20 लाख या इससे अधिक की न हो।
5. प्रार्थी की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और अनुसूचित जाति / पिछड़े वर्ग के प्रार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष होगी।
6. प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी/अप्रेटिस न हों।
7. प्रार्थी अपने परिवारिक व्यवसाय से सम्बन्धित न हो जिससे वह अपनी जीविका चला रहा हो।
8. यदि प्रार्थी का पति/पत्नी नौकरी में है तो वह बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा।
9. प्रार्थी वकील/डाक्टर/वेटरेनरी डाक्टर नहीं होना चाहिए।
10. स्व-रोजगार चला रहा प्रार्थी पात्र नहीं होगा।
11. प्रार्थी सरकारी सेवा से पदच्युत किया हुआ न हो।
12. जो प्रार्थी किसी मामले में 6 मास या इससे अधिक सजा मुगल चुके हों वे भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
13. बेरोजगारी भत्ता निम्न दरों से दिया जाएगा।

(i) मैट्रिक / हा० सैकेण्डरी/ सीनि० सैकेण्डरी/इन्टर	100/-रुपये प्रतिमास
(ii) डिप्लोमा होल्डर/स्नातक/ स्नातकोत्तर	200/-रुपये प्रतिमास
14. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बुढ़ापा पेंशन योजना के अनुरूप राजस्थ प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। मास नवम्बर, 2004 का बेरोजगारी भत्ता 1 दिसम्बर 2004 को वितरित कर दिया जाएगा।

श्री राम बीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आज एक दिसम्बर, 2004 से पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको भत्ता दिया जा रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सदन की ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन पांच सालों में बेरोजगारों को जितनी भौकरियाँ दी गई हैं उतनी 1 नवम्बर, 1966 से लेकर 24 जुलाई 1999 तक नहीं दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के कितने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता बांटा जा रहा है, उनकी संख्या बताएं ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मेरे साथी ने खूब बताया है आज पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सरकार की नीति का लाभ उठा रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना आज के दिन से शुरू किया गया है और इस पर भी मेरे साथी ने खूब रोशनी डाली कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं माननीय साथी को उसके सवाल के जवाब में बताना चाहूंगा कि मैट्रिक, हायर सेकेण्ड्री, सीनियर सेकेण्ड्री जो बेरोजगार नौजवान इनलिस्टेड हैं वह 5 लाख 84 हजार 826 हैं और जो स्नातक और स्नाकोत्तर डिप्लोमा होल्डर हैं वह 1 लाख 28 हजार 217 हैं कुल मिलाकर 6 लाख 82 हजार 843 नौजवानों को इनलिस्ट किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जवाब के पार्ट बी की स्टेटमेंट के (vii) में लिख-रखा है कि—

“(vii) The applicant should not be involved with the family business and consequently earning his bread.”

तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या फारमर्स भी ध्वसायी हैं उनको भी इन्चोल्ड किया है दूसरे में जानना चाहूंगा कि आपने बात की अनइम्प्लायमेंट अलाउंस की तो यह भी बताएं कि कितने इम्प्लोयीज को रिट्रैव किया है। जो सेल्फ एम्प्लायमेंट की बात है जो स्टूडेंट्स हैं, आपने मैट्रिक की बात की है, मैट्रिक के बच्चे जो ग्याहरवी कक्षा में पढ़ते हैं और वैसे ही घूम रहे हैं, क्या उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ? 11वीं के बच्चों को कब से यह अलाउंस मिलना शुरू हो जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री.ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। एक तो मैं इनको यह बात स्पष्ट कर दूँ कि ये इस तरीके से अनर्गल बात का प्रचार निरन्तर करते रहे हैं। मौजूदा सरकार के समय में कोई सरकारी मुलाजिम रिट्रैन्च नहीं हुआ। यह जो बात सदन में कह रहे हैं इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो बाल सदन में कही जाती है अगर वह गलत हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। दूसरी बात इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की की है। (शोर) इन्होंने पूछा है कि इसमें जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं वे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। सीसरा प्रश्न यह कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निठले बैठे रहते हैं दुभाग्य से विपक्ष जैसी सरकार हो और उन बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिले इसके लिए वर्तमान सरकार एक बिल पास करने जा रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सरकार ने मैट्रिक के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे बेरोजगार कहां से हुये क्योंकि उनकी पढ़ाई अभी समाप्त ही नहीं हुई है इसलिए वे तो स्टूडेंट्स की श्रेणी में आते हैं वे बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : कैप्टन साहब, आप तो बुद्धिमान हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह बात ठीक है कि सरकार ने अनइम्प्लायमेंट अलाउंस देने का

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो निर्णय लिया है इसमें रूलिंग पार्टी ने पोलिटिकली बेंनीफिट लेने के लिए यह निर्णय लिया है। हमारा प्रदेश वैलफेयर स्टेट है। संविधान में भी यह फण्डामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसीपलज हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रदेश के बजट की इतनी टाईट पोजीशन है कि पिछले पांच सालों में यह सरकार सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के पदों को पूरा नहीं कर पाई और आज यह बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप अपना सवाल पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पोलिसी बनाने से पहले क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि सरकारी स्कूलों में जिनमें निम्न श्रेणी के बच्चे, एस०सी०, बी०सी० के निर्धन बच्चे पढ़ते हैं, हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल में अध्यापकों के पदों को भरने का काम इस सरकार ने नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : यह इससे संबंधित विषय नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पोलिसी बनाने से पहले क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि सरकार यह पैसा नहीं दे पायेगी। कोई भी सरकार इतना पैसा नहीं दे पाएगी, इसलिए जो पोलिसी ये बना रहे हैं, ये अव्यावहारिक हैं, ऐसी पोलिसी न बनाई जाए बल्कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप एक क्लेरीफिकेशन दें, कैप्टन साहब की एक क्यूरी थी कि स्टूडेंट्स को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो आप बताएं कि क्या स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं या नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब का अपना नजरिया है। मेरा अपना नजरिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में अपने विचार रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य को स्वयं इस बात का ज्ञान है कि 2 दफा शिक्षकों की भर्ती की गई है और तीसरी दफा शिक्षकों की भर्ती जारी है। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंजीनियरिंग कालेज, डेंटल कालेज, पोलिटेक्नीक, आई०टी०आई० लॉ कालेज खोले हैं, कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक नया निर्णय लिया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां हैं उनमें बेरोजगार युवकों को जगह मिले। हम विदेशों में ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बेरोजगार युवकों को वहां रोजगार मिल सके। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) बिसला जी,

शिक्षा नीति के बारे में आपका कोई सुझाव था तो आप अपना सुझाव देते क्योंकि 4 साल तक तो आप शिक्षा नीति की पूरी सराहना करते आए हैं चाहे तो असेम्बली प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें जैसे तो असेम्बली प्रोसिडिंग की कापी प्रत्येक एम०एल०ए० के घर जाती है। शिक्षा नीति के बारे में आपका भाषण सबसे दमदार होता था, आपने हमेशा इस सरकार की सराहना की, यह ठीक है कि हमारे साथी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। पहले भी आप हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये तो आपको अजमाएंगे नहीं। हमें आपसे कोई गिला नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम कोई पोलिटिकल निर्णय नहीं लेते। हमारा मकसद तो पूरे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है और इस प्रकार की योजना और कानून बनाना है ताकि हम लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। आप तो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। आप भी निष्काशित मैम्बरज का साथ देने वालों में थे फिर भी मैं आपके क्षेत्र में गया और लोगों की मांग पर करोड़ों रुपया देकर आया। हम किसी से भेदभाव नहीं बरतते। मैं तो भजनलाल जी के हत्के में गया, बंसीलाल जी के हत्के में गया। क्योंकि इनका जो प्रश्न आया नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको तो अपने गांव का नाम गोलागढ़ कहते हुए शर्म नहीं आई। (शोर एवं व्यवधान) आज भी इनके गांव का नाम गोलागढ़ है।

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा ---

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसीलाल जी, आपने अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में अपने गांव का नाम नहीं बदला, आपने तोशाम सब डिवीजन को तोड़ा आपने भजनलाल जी द्वारा बनाए गए सब डिवीजन को तोड़ा। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय -----

श्री उपाध्यक्ष : बंसीलाल जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, आप जब भी बोलें चेयर की इजाजत से ही बोलें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप थे नियम सभी पर लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, नियम सभी पर ही लागू हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसीलाल जी, आपने अपने गांव का नाम नहीं बदला। गोलागढ़ के मिडिल स्कूल को आप अप ग्रेड नहीं कर पाए। आपने अपने सब डिवीजन को तोड़ दिया और भजनलाल जी के भी सब डिवीजन को तोड़ दिया और अब आप इकट्ठे बैठे हैं, परिस्थितियों ने आपको इकट्ठा बैठा दिया। भजनलाल जी, आपके सब डिवीजन को इन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा ?

चौ० भजनलाल : यह तो रिकार्ड की बात है।

Providing of Benefits to Blind/Handicapped persons

*1877. Sh. Balbir Singh : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether the State Govt. has made any announcement to provide benefits to the blind and physically handicapped persons in the State; if so, the details thereof ?

सभाध्यक्ष महोदय (श्री रिसाल सिंह) : जी हां श्रीमान् ! राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा विकलांग पेंशन" योजना के अन्तर्गत विकलांग पेंशन दिनांक 1-11-2004 से 200/- रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 300/- रुपये प्रतिमास करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि बेरोजगार शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1-9-2004 से केवल नेत्रहीनों के लिये 200/-, 250/- एवं 300/- रुपये से बढ़ाकर दोगुणा क्रमशः 400/-, 500/- एवं 600/- रुपये करने की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद बार-बार सर्वे कराये और सिर्फ ओल्ड ऐज पेंशन ही नहीं, चाहे विडो पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी को हमारे मुख्यमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है। बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से 200 रुपये और 200 रुपये से 300 रुपये भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही बढ़ाये। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1-11-2004 से 200 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमास करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि बेरोजगार शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1-9-2004 से केवल नेत्रहीनों के लिए 200/-, 250/-, एवं 300/- रुपये से बढ़ाकर दोगुणा क्रमशः 400/-, 500/- एवं 600/- रुपये करने की घोषणा की है।

श्री बलवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नेत्रहीनों व विकलांगों की हमारे प्रदेश में कुल संख्या कितनी है ?

श्री रिसाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विकलांग तो विकलांग ही हैं चाहे वे नेत्रहीन हों, चाहे दूसरी तरह से विकलांग हों उनमें अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इसलिए है कि नेत्रहीनों की कंठीनाईयाँ दूसरों के मुकाबले अधिक हैं। उनको अपने साथ हमेशा स्टीक रखनी पड़ती है और उनको अधिक देखभाल की जरूरत होती है यही सोचकर नेत्रहीन विकलांगों की अधिक पेंशन बढ़ाई गई है।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी अपने जवाब में बता रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, नलकूपों के रेट में कमी और हैडीकेपड की पेंशन। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, मंत्री जी का जवाब हैडीकेपड से रिलेटिड है इसलिए आप उसी से संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार मार्च, 2004 से इस प्रदेश में राज कर रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हम मार्च, 2004 से नहीं बल्कि मार्च, 2000 से राज कर रहे हैं और बंसीलाल जी वाले 6 महीने अलग हैं।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मार्च, 2000 ही कहना चाह रहा था।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी तो आगे की बता रहे हैं कि आगे भी हम ही राज करेंगे।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आगे के लिए तो ये सपने ही जें।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, जाने जो होना होता है उसके बारे में कई दफा गलती से पहले ही निकल जाता है।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि जिस समय मीजूदा सरकार बनी उस समय किसान भी यहीं थे, अंग्रे भी यहीं थे, जिन्होंने चण्डीगढ़ में सरकार के सामने धरने दिए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आप सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री मांगेराम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ कि ये सारी वृद्धियां 11वें महीने में क्यों की जा रही हैं चार साल पहले क्यों नहीं की गई ?

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये 11वें महीने के बारे में कैसे कह सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये 25 नवम्बर, 1999 को की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रैगुलर बढ़ा रही है। हर साल नई-नई स्कीम वेलफेयर की हमारी सरकार दे रही है।

Water Supply Scheme of Gohana

*1860. Sh. Ram Kuwar Saini : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Water Supply Scheme of Gohana is likely to be completed together with the expenditure to be incurred thereon ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : श्रीमान् जी। गोहाना की जल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य, 885.00 लाख रुपये की अनुमानित राशि से, जून 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

श्री राम कुवार सीनी : स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे शहरों में प्रति व्यक्ति 110 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाता है क्या उसी तरह से देहात के गांवों में प्रति व्यक्ति 110 लीटर पानी प्रतिदिन देने का सरकार का प्रावधान है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम गोहाना शहर की इस योजना के बारे में बताना चाहता हूँ कि गोहाना की वाटर सप्लाई स्कीम 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से ट्यूबवैल बेस्ड स्कीम बनाई जा रही है। यह स्कीम जून में शुरू हो जायेगी और इस स्कीम का पार्टली काम मार्च में शुरू किया जायेगा। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या देहात के गांवों में भी शहरों की तरह 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जायेगा। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके लिए हर वर्ष टारगेट रखा जाता है और उसे आगमेंट भी किया जाता है। जैसे जहां पर 30 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 30 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता

[श्री रामपाल साहजरा]

है। जहां पर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 110 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इस सरकार के वर्ष 1999 से सत्ता में आने के बाद गांवों में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए 500 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 520 गांवों का टारगेट अचीव किया। इसी प्रकार से वर्ष 1999-2000 में 550 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 570 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्ष 2001-2002 में 550 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 582 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्ष 2002-2003 में 650 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 736 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्ष 2003-2004 में 470 गांवों का टारगेट रखा गया लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 3115 गांव की वाटर स्कीम में सुधार किया। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हमें नाबार्ड से भी कुछ पैसे इस स्कीम के तहत मिले हैं और हमने इसके लिए 654 योजनाओं का टारगेट रखा है नाबार्ड से मिलने वाले पैसे से पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

Swasthay Aapke Dwar

*1859. Sh. Bishan Lal Saini : Will the Minister of State for Health be pleased to state the number of medical camps organised and the number of patients examined/ benefited under the 'Swasthay Aapke Dwar' Programme in the State ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) : श्रीमान् जी, स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2003 से 31-10-2004 तक 15115 स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया। जिनमें 75,08,101 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई जिसमें घुने हुए 866068 भरीजों का इलाज किया गया।

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट हूँ।

श्री अध्यक्ष : अब कवैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repair of Damaged Roads of Yamuna Nagar Constituency

*1865. Sh. Malik Chand Gambhir : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged roads of Yamuna Nagar

constituency including the road from Yamuna Nagar-Saharanpur road to Khajuri-Jathalana; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) कार्य दो सप्ताह में आबंटित करने की संभावना है और उक्त कार्य छः मास के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा।

Upgradation of the post of school lecturers

*1869. Sh. Sher Singh : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the declaration in regard to upgrade the post of School Lecturers as Gazetted was made by the Chief Minister during the year 2002; and

(b) if so, the time by which it is likely to be fulfilled ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री० बहादुर सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2002 की अपेक्षा वर्ष 2000 में स्कूल प्राध्यापकों को राजपत्रित का दर्जा देने बारे घोषणा की थी।

(ख) इस संबंध में स्कूल वर्ग के प्राध्यापकों को राजपत्रित दर्जा देने हेतु अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जानी सम्भावित है।

Repairing/Re-carpeting of Nilokheri-Kaul Road

*1864. Sh. Dharam Pal (Nilokheri) : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/re-carpet the Pehwa road i.e. from Nilokheri to Kaul; if so, the time by which the repair of the said road is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी। नीलोखेड़ी कस्बे में 1.64 किलोमीटर लम्बाई में काम वितरित कर दिया गया है और 12/04 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। शेष भाग की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

Number of Old-Age Pensioners

*1868. Sh. Ramesh Kumar Khatak : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the total number of persons getting Old Age Pension in the State as on 31-10-2004, 30-6-1999 and 31-3-1996 together with the amount spent thereon during the said periods separately ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (ची० रिसाल सिंह) : ताक देवी लाल वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न अवधियों के दौरान लाभप्राप्ति का ब्यौरा एवं उन पर खर्च की गई राशि का विवरण सलग्न तालिका में दिया गया है :

विवरण

वर्ष	लाभप्राप्ति की संख्या	खर्च (करोड़ों में)
1991-1992	7,40,000	60.18
1992-93	7,37,000	71.33
1993-94	6,79,255	54.36
1994-95	6,30,000	114.22
1995-96 (1-4-95 से 31-3-96)	7,41,290	80.14
1996-97	6,96,000	83.88
1997-98	7,29,600	81.82
1998-99	6,80,263	82.88
1999-2000 (1-4-1999 से 30-6-1999)	6,67,757	20.39
1999-2000 (1-7-99 से 31-3-2000)	9,87,634	103.77
2000-2001	9,63,849	221.35
2001-2002	9,10,412	220.57
2002-2003	8,45,821	207.32
2003-2004	8,94,863	217.18
2004-2005 (1-4-2004 से 31-10-2004)	8,71,620	122.62

Setting-up of 33 KV sub-station at village Khurana

***1861. Sh. Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 33 KV Sub-station in village Khurana in Kaithal Constituency, Distt Kaithal; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

Repair of Roads

***1866. Sh. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state the time by which the damaged roads within the Yamuna Nagar Municipal limits are likely to be repaired ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : श्रीमान् जी, राज्य सरकार द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत यमुनानगर नगरपरिषद की सड़कों की मरम्मत/निर्माण हेतु 11-3-2002 से 12-10-2004 की अवधि के दौरान पहले ही 636.27 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है जो राशि खर्च की जा चुकी है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य धनराशि मिलने पर तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

Vacant posts of School Teachers

***1870. Sh. Sher Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state the district wise number of posts of teachers (Category-wise/subject-wise) in Government schools lying vacant in the State at present ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री० बहादुर सिंह) : विस्तार पूर्वक सूचना अनुबन्ध 1 से 4 पर उपलब्ध है।

[चौ० बहादुर सिंह]

अनुबन्ध-1

जे० वी० टी० अध्यापकों की रिक्ति सूची

क्र० सं०	ज़िले का नाम	कुल रिक्तियाँ
1.	अम्बाला	133
2.	मिथानी	187
3.	फरीदाबाद	213
4.	फतेहाबाद	92
5.	गुड़गांव	375
6.	हिसार	206
7.	जीन्द	179
8.	झज्जर	0
9.	कैथल	137
10.	करनाल	475
11.	कुरुक्षेत्र	166
12.	नारनौल	124
13.	पानीपत	157
14.	पंचकूला	59
15.	रोहतक	0
16.	रिवाड़ी	59
17.	सोनीपत	0
18.	सिरसा	230
19.	यमुनानगर	296
	कुल	3088

अनुबन्ध-II

जिले का नाम	श्रेणी-1	उपग्रामो अ/संविओ किओ	ग्रामार्थ खोशिओ मुओ	गओ	विओओ	सी-पी-ईओ	पुओ	संगीत	कृषि	कौशियुव युव				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अबाला	1	0	10	5	26	118	86	56	19	5	4	0	1	281
गिवानी	0	1	19	2	0	223	15	109	47	1	0	1	0	418
फरीदबाद	2	0	20	4	41	230	36	81	33	3	0	1	1	452
फतेहबाद	0	0	15	3	45	154	24	89	13	0	2	0	0	345
गुड़गांव	5	0	12	0	42	154	29	98	20	2	2	1	0	365
हिसार	0	0	7	0	37	131	13	70	18	0	0	0	0	276
जीन्द	0	1	8	2	27	244	23	103	15	2	3	0	0	428
झज्जर	0	0	7	2	0	260	2	100	24	1	2	1	1	400
कैथल	0	2	17	3	31	162	35	99	23	1	1	1	0	375
करनाल	1	0	12	0	40	107	31	72	34	1	0	2	0	300
कुल्शेत्र	0	0	3	5	8	96	7	60	12	0	0	0	0	181
नारनाल	3	3	55	9	80	698	218	258	63	14	10	0	0	1411
पानीपत	0	1	4	5	12	116	0	51	5	1	1	1	0	196
पंधकूला	1	2	1	4	8	57	7	29	12	1	0	0	0	122
रोहतक	0	0	1	0	0	515	244	239	34	27	8	0	0	1368
रियाड़ी	1	0	10	6	4	102	2	20	26	2	2	0	0	175

अनुबन्ध-III
 प्रयुक्त

क्रि.सं. का नाम	भौतिक संस०	जीव० अर्थ	गृह	संस्कृत	वाणिज्य	समाज	भणित	पंजाबी	हिन्दी	अंग्रेजी	सं० शा०	संगीत	भूगोल	इतिहास	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अम्बाला	5	2	5	3	0	3	4	1	9	3	19	17	17	1	4	8	101
भिवन्दी	8	7	7	16	3	4	3	1	14	0	31	41	26	2	5	39	207
फरिदाबाद	16	12	13	0	2	1	6	1	7	1	33	7	26	2	8	25	162
फतेहबाद	2	1	1	2	0	1	5	1	3	6	25	7	14	0	2	12	81
गुडगांव	7	4	1	7	2	12	5	2	6	0	46	9	32	3	6	37	179
हिसार	14	15	12	5	0	4	10	4	15	0	33	3	18	0	4	20	155
जीन्दा	5	3	2	5	5	1	9	3	11	4	12	7	12	0	3	10	92
झांझर	7	8	1	31	2	5	5	4	10	0	19	44	45	1	3	41	226
कैथल	3	11	3	2	0	4	10	0	10	2	21	6	12	0	2	11	97
करनाल	4	9	8	8	3	2	3	0	7	0	20	16	21	1	7	6	115
कुरुक्षेत्र	5	5	4	10	1	0	8	2	4	4	0	3	5	0	7	0	58
नारनौल	6	8	5	24	3	22	2	8	11	0	16	42	30	2	11	37	227
फानीपत	6	2	2	12	1	1	2	1	2	1	17	16	9	2	3	18	95

(1)30

हरियाणा विधान सभा

1 डिसेंबर, 2004

[वी. वी. वी.]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पंचकुला	3	6	2	5	0	3	1	0	0	0	7	5	5	1	3	7	48
रोहतक	4	2	1	0	5	1	1	0	0	1	4	10	2	2	5	6	44
रिवाडी	5	4	2	20	2	19	0	2	5	0	21	20	17	0	0	17	134
सोनीपत	13	7	4	23	2	17	12	2	12	0	47	41	33	1	6	43	263
फिरसा	4	3	2	1	0	3	0	4	5	5	34	21	13	1	16	21	133
समुनागर	1	1	1	5	0	3	6	3	6	6	28	5	23	1	1	11	101
कुल	120	110	76	177	31	100	92	39	137	32	433	320	360	20	96	369	2518

* भौतिक :- भौतिक विज्ञान प्रवक्ता

* रसा :- रसायन विज्ञान प्रवक्ता

* जीव :- जीव विज्ञान प्रवक्ता

* अर्थ :- अर्थशास्त्र प्रवक्ता

* गृह :- गृह विज्ञान प्रवक्ता

* वाणिज्य :- वाणिज्य प्रवक्ता

* राजशा :- राजनीतिक शास्त्र प्रवक्ता

अनुबन्ध-IV

वर्सासिक एवं वनार्क्युलर अध्यापक

जिले का नाम	हिन्दी अध्यापक	संस्कृत अध्यापक	कला अध्यापक	पंजाबी अध्यापक	पी०टी० आई०	शिलाई एवं कढ़ाई अध्यापक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्बाला	24	8	13	0	0	1	46
भिवानी	2	16	27	0	10	0	55
फरीदाबाद	21	47	28	0	39	0	135
फतेहाबाद	13	35	72	0	7	0	127
गुड़गांव	5	15	50	1	32	0	103
हिसार	7	18	19	0	16	0	60
जीन्द	3	25	12	0	4	2	46
झज्जर	0	3	1	0	0	0	4
कैथल	10	11	29	0	1	1	52
करनाल	4	6	21	0	14	0	45
कुश्नपुर	6	17	55	0	16	0	94
नारनौल	220	223	208	0	178	1	830
पानीपत	0	2	4	1	3	0	10
पंचकूला	3	9	12	0	4	0	28
रोहतक	0	3	0	0	2	1	6
रिवाड़ी	1	18	10	0	13	0	42
सोनीपत	0	9	5	0	21	1	36
सिरसा	0	48	77	0	4	0	127
यमुनानगर	17	2	18	0	2	0	39
कुल	336	513	661	2	366	7	1885

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हमने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फीडेंस मोशन दिया है उसका क्या रहा।

श्री अध्यक्ष : आपने यह नो कॉन्फीडेंस मोशन 1.47 बजे दिया है वह अभी अन्डर कंसीडरेशन है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मेरी अर्ज है कि पहले नो कॉन्फीडेंस मोशन पर चर्चा कर ली जाये और बाकी बिजनेस बाद में टेकअप कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अभी वह अन्डर कंसीडरेशन है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, मेरी अर्ज है कि पहले इसे टेकअप कर लिया जाये और बाकी बिजनेस बाद में टेकअप कर लिया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया हुआ है उसका क्या फेट है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपका दिया हुआ कॉलिंग अटेंशन मोशन अभी-अभी मेरे सामने आया है लेकिन मैंने अभी उसे देखा नहीं है (विघ्न)। आपका यह कॉलिंग अटेंशन मोशन अभी-अभी मेरे सामने आया है और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहले वाला मामला है उसके बारे में आप बताइये कि आपकी क्या रूलिंग है ?

श्री अध्यक्ष : वह मैटर अण्डर कंसीडरेशन है और मैं इस पर विचार करूंगा। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह भाभला आपके पास 3 बज कर 07 मिनट पर आपको दिया गया है तो क्या आप इस पर विचार नहीं करेंगे, क्या इस बिनाह पर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे ? It was given to you before the questions Hour. You are bound to take it up. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी, मैं इसे कन्सीडर करूंगा अभी मैं इसको देख रहा हूँ अभी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चौधरी साहब, आपने शायद सुना नहीं है स्पीकर साहब ने यह कहा है कि That is under consideration.

चौधरी बंसी लाल : रूल के हिसाब से वे इसे रख नहीं सकते हैं। यह मोशन उन्हें क्वेश्चन आवर से पहले मिला है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको रूल भी पढ़ा देंगे (विघ्न) आप रूल को समझ लेना।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, यह बैटर होगा कि मैं कौल एण्ड शकधर की किताब का पेज 689 पढ़ देता हूँ फिर रूल अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। (विघ्न) भजन लाल जी, आप मेरी बात सुने, मुझे यह इंगलिश में पढ़ना पड़ेगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए सरकार को पहले हाउस को विश्वास में लेना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप एक और बात करिए कि अण्डर कंसिडरेशन के अलावा आप थक कह दीजिए कि कल इस पर बहस करेंगे (विघ्न) आप इसका फेट बताएं (विघ्न)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) आप चेयर को कोई हिदायत नहीं दे सकते हैं (विघ्न एवं शोर) आप उनकी बात सुनिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप प्लोज सुनिए (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) मैं आपकी बात भी सुनूंगा और सारी चीज भी बताऊंगा तथा आपकी पूरी तसल्ली करूंगा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो इनकी पार्टी के नेता हैं वे खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसे आज नहीं कल के लिए रख लें, चौधरी बंसी लाल जी कह रहे हैं कि अभी ले लें और जिसे आपने फर्जी विपक्ष का नेता बनाकर बिठा रखा है (विघ्न) कप्तान साहब, आप मुझे बता देना कि क्या इन लोगों ने आपको विपक्ष का नेता चुना है अगर उन्होंने चुना नहीं है तो फिर आप फर्जी ही हैं। आप लीडर ऑफ ओपोजीशन नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आप मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता नहीं हैं (विघ्न) आप डिप्टी लीडर हैं। आप बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे और आप बहुत ज्यादा कहा करते थे इसलिए मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी तो आपको नेता बनाती नहीं है मैं आपको कम से कम कुर्सी तो दिखा दूँ। (विघ्न) मैंने आपको केवल कुर्सी दिखाई है आपको अभी मान्यता नहीं दी गई है। जब ये लोग आपको विपक्ष का नेता चुन देंगे तो मैं आपको मान्यता दे दूंगा। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है (विघ्न)। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है उस पर आप अपनी रुझान दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, डिप्टी लीडर ने मुझे अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। आप सुनिये, चौधरी बंसी लाल जी आपको इसे हिन्दी में ट्रांसलेट कर देंगे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा (विघ्न) अभी आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कौल एण्ड शकधर की बुक का पेज 689 में पढ़ देता हूँ। भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) भजन लाल जी, आप सुन लीजिए मैं आपके लिए इसे हिन्दी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा।

At page 689 of the book Kaul & Shakhdar, it is mentioned --

“The expression ‘before the commencement of the sitting’ means a reasonable time before the commencement of the sitting. A notice of No-confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House has to be given by 10.00 hours on that day, i.e. an hour before the commencement of the sitting. Such notice, if received after 10 hours, is valid only for the next sitting.”

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह नो कॉन्फीडेंस के मुताबिक नहीं है (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : यह नो कॉन्फीडेंस के मुताबिक ही है आप कौल एण्ड शकधर का पेज 689 देखें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह कौल एंड शकधर के पेज नम्बर 689 पर हैं। आप उसको पढ़ें। (शोर)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : आप सदन को निस-गार्ड कर रहे हैं।

Mr. Speaker : This is the Practice and Procedure of Parliament.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने जो किताब रूलज की हमें दे रखी है उसमें बताएं कि यह कहां पर है जो कि आप पढ़ रहे हैं।

Mr. Speaker : Under Rule 119 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, in case of doubt as to the interpretation of the rules, the decision of the Speaker shall be final. डाऊट है, डाऊट है। (शोर) कैप्टन साहब, आप उप-नेता तो हैं लेकिन किताब नहीं पढ़ते हैं। (शोर) कभी तो एडजर्नमेंट मोशन बाद में लाते हों। (शोर) यह भी बुरा है। यह तो मैंने पार्लियामेंट की प्रैक्टिस एंड प्रोसिजर से पढ़ा है। (शोर) चौधरी बंसी लाल जी कुछ समझ में आई है जो बात मैंने कही है, जो मैंने पढ़ा है।

श्री बंसी लाल : मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, बैठिए-बैठिए। यह अन्डर कंसीड्रेशन है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें यह बात समझ नहीं आ रही है। जिस सरकार के खिलाफ नो-कॉन्फीडेंस मोशन हो वह इस पर बहस करवाए बिना दूसरा कोई विजनस कैसे टेक-अप कर सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पर बहस करवाएं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैं इस बारे में सदन में पहले भी बोल चुका हूँ कि वह अन्डर कंसीड्रेशन है। (शोर) इस पर विचार करेंगे। (शोर) अभी तो बताया है। (शोर) एक घन्टा पहले देना था। आपने दिया है इसमें कोई डाऊट है। (शोर) आप दोनों पढ़ोगे। (शोर) आप दोनों बाहर जाकर पढ़ लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूल 65 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly पढ़ कर बता देता हूँ।

“65 (1) A motion expressing want of confidence in, or disapproving the policy in a particular respect of a Minister or the Ministry as a whole, may be made, subject to the following restriction, namely :—

(a) leave to make the motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon.”

I have already given you the no-confidence motion notice. So, it should be taken up now as per the rules. If you don't go as per the rules then it is another matter.

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इसलिए तो बिफोर दि बिजनेस कहा है और यह आपको एक घंटा पहले देना चाहिए था।

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker Sir, it is given in the rules that 'before the business is entered upon' and it is very clear. Whether it is in order or not? If it is not in order then you say "I reject it", if it is in order, then you should accept it.

Mr. Speaker : As per Practice and Procedure of Parliament, where the rule is silent, the Speaker can give the interpretation.

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker can give interpretation as what he feels.

Mr. Speaker : This is as per Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav : It is given very clear in the rules. That may be exception. But here it is given in the rules.

Dr. Raghubir Singh Kadian : But here the necessity arises to take it up first.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, you have to work as per the Rules Book.

Mr. Speaker : Rule is silent. I have followed by the Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav : But you are not following. You should go as per the rules.

Mr. Speaker : Rule is silent. I have to follow by the Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav : Have you been following the precedents earlier also?

Mr. Speaker : You please read page 689 of the Practice and Procedure of Parliament. It is clearly mentioned here :—

"Before the commencement of a Session, a notice can at the earliest be given after a date and time fixed in advance by the Speaker and notified in the Bulletin. Notice can also be given for a future date."

Dr. Raghuvir Singh Kadian : It is not a notice of no-confidence motion. You tell where it is written.

Capt. Ajay Singh Yadav : It is a no-confidence motion. If it is a notice then tell me where it is written. Please don't misguide the House. Don't mislead the House. It is not a notice. It is a no-confidence motion.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : * * * * *

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कादियान जी जो भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही से निकलाया जाए। ये सदन में किस तरह से बोल रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी ने जो भी बोला है वह रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर) कैप्टन साहब, आपने मुझे जो लिख कर दिया है उसमें आपने लिखा है नोटिस आफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप पढ़े लिखे हैं। आपने जो भेजा है उसको पढ़ लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप हमें दिखाएं कि कहाँ पर हमने लिखा है।

Mr. Speaker : You have written in its subject "Notice of no-confidence motion". And you have also put your signatures on it. And a notice of no-confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is prepared to be raised in the house has to be given by 10 hours on the day i.e. one hour before commencement of the sitting. (interruptions)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाएं। तीन-तीन आदमी इकट्ठे बोल रहे हैं। इनका यह क्या तरीका है। आप हाऊस का डेकोरम बनवाएं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो हमें लिखकर दिया है इसमें नोटिस ऑफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लिखा हुआ है। चौधरी भजन लाल जी, इस पर आपने भी साईन किए हुए हैं। It is notice of no-confidence motion (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, यह अविश्वास प्रस्ताव है कोई दूसरा नोटिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप यह बताएं कि आपने यह नोटिस आफ नो-कॉन्फिडेंस लिखा है या नहीं। अगर न लिखा हो तो आप बताएं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप हाऊस को आर्डर में करवाइये। ये चार चार, पांच पांच एक साथ खड़े हैं जिसकी वजह से हाऊस का समय वेस्ट हो रहा है इस तरह से हाऊस कैसे चलेगा। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न)

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker Sir, You are the custodian of the House. So, you have to clear the thing. (Interruptions)

* Not recorded as ordered by the Chair.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाउस को आर्डर में लाइये। हाउस का समय बहुत कीमती है। इस तरह से तो हाउस का समय वेस्ट हो रहा है। आप इनको बिताइये। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : हम भी कह रहे हैं कि इस तरह से हाउस का समय खराब हो रहा है। स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, रूल 119 के तहत जो मैंने फाईडिंग दी है वह यहीं है और सही है। लेकिन अगर आपमें ज्ञान का अभाव हो तो मैं क्या करूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हममें आपसे ज्यादा ज्ञान है। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। We are asking whether it is motion or notice. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। कादियान साहब, आप बैठ जाएं। अदरवाइज मुझे ऐक्शन लेना पड़ेगा। (विघ्न) अनिता जी, आप भी बैठ जाएं।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आपकी इजाजत से कुछ कहना है। मेहरबानी करके आप सुनिये। यह हाउस है और यहां पर हमें बोलने का अधिकार है। आप चाहें तो इस बारे में रिकार्ड निकलवाकर देख भी सकते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त चौटाला साहब इधर ही बैठते थे और उस समय इन्होंने दो या तीन बार हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया था। हमने उस समय यह कहा था कि नहीं, और सारा काम छोड़ो सबसे पहले हम विश्वास का मत हासिल करेंगे और बाद में दूसरे काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, मैंने अभी इसको देखना है कि यह आर्डर में है या नहीं है। मैंने अभी इसको ऐग्जामिन करना है। यह अभी अंडर कंसीड्रेशन है। मुझे इस बारे में सारा देखना है। आप इस बारे में ज्यादा जल्दी में क्यों हैं ?

चौ० भजन लाल : अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम यहां पर बैठकर क्या करेंगे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप इसको पढ़कर देखिए कि आपने इसमें क्या लिखा है। आप बताएं कि इसका सब्जेक्ट क्या है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सब्जेक्ट है Notice of No-Confidence Motion. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप नोटिस पढ़ें और बताएं कि इसका पहला शब्द क्या है। नोटिस से क्या कोई रिफ्लेक्शन है। (विघ्न) इसका पहला शब्द क्या है ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी परमिशन से कुछ कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि मेरा आपसे नियेदन है कि हाउस का समय बहुत कीमती है इसलिए आप हाउस को इन आर्डर लाइये। मेरा कहना यह है कि मैम्बर्ज अपनी बात कहेँ खुब कहेँ हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप हाउस के कस्टोडियन हैं। एक मैम्बर पहले अपनी बात को कह ले।

[श्री- सम्पत सिंह]

और उसके बाद दूसरे नैम्बर को बोलने की इजाजत मिले तो ही वह बोले तो ज्यादा अच्छा है चाहे वह हमारी तरफ से हों या चाहे वह उधर से हों ऐसा करने से हाउस का डेकोरन बना रहेगा। स्पीकर साहब, आपने अभी जिस नोटिस का जिक्र किया और जिस पर कादियाम साहब ने ऐतराज किया It is a notice. चाहे वह नोटिस नो कॉफीडेंस मोशन का हो या चाहे वह नोटिस शोर्ट टर्म का हो या आधे घंटे की डिस्कशन का हो तो ये नोटिस ही हैं। माननीय सदस्य कैप्टन साहब से पहले टाईम आपने पूछा कि आप पढ़िए कि वरबैटम क्या है तो He was missing notice. तो बार बार ये क्यों उसको मिस कर रहे थे इसका मतलब है कि वह नोटिस ही है। यह ठीक है कि यह कानूनी तौर पर नोटिस बनता है। इन्होंने जो नोटिस दिया था वह भी नोटिस ही था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब जहां तक नो कॉफीडेंस मोशन को लेने का सवाल है आपने भी इस बारे में पढ़कर सुनाया और माननीय सदस्य ने भी इस बारे में पढ़कर सुनाया। स्पीकर साहब, हरियाणा असेम्बली के अपने रूलज एंड प्रोसिजर बने हुए हैं। इनमें लिखा हुआ है कि कार्यवाही शुरू होने से पहले यदि नोटिस दिया जाएगा तो वह इन ऑर्डर माना जाएगा और आप उस पर फैसला करेंगे। लेकिन साथ में हर चीज में टाईम भी होता है परन्तु इस बारे में चूंकि रूलज की बुक के अंदर टाईम नहीं दिया हुआ है कि Whether 15 minutes earlier or half-an-hour earlier or one hour earlier or so. स्पीकर साहब, हम किससे गर्वन होते हैं। पार्लियामेंट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर हैं। चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी भजनलाल जी बहुत सीनियर मੈम्बर हैं। कैप्टन साहब को भी कॉफी टाईम मैम्बर बने हुए हो गया है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि रूलज की किताब के अंदर अगर किसी रूल में साईलेंट है then we are governed by practice and procedure of parliament. हम कौल एंड शकधर को रोज कोट करते हैं। पार्लियामेंट में नॉमर्ली सेशन 11 बजे शुरू होता है इसलिए उसमें दस बजे का टाइम दिया हुआ है हमारे यहां सेशन 2 बजे शुरू हुआ है इसलिए एक बजे का समय बनता है फिर भी क्योंकि आपने नोटिस दिया है that is under consideration. हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपका नोटिस इल्लिगल है या आपने टाइम बाकंड समय में नहीं दिया या आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है। that is another question. That is a separate question. सवाल टेकअप करने का है सवाल ऐडमिट करने का या इन ऑर्डर करने का नहीं है इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर जो फैसला आप देंगे उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। जो आप फैसला करेंगे सरकार आपका पक्ष मानेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस के बारे में बता रहा हूँ। थन एंड हाफ ऑवर का समय है इसमें क्लीयर ग्रह दे रखा है कि--

“leave to make the motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon.”

I have given you the notice before the business was entered upon. When it is given clearly in the Rules then where is the lacuna. इसमें क्लीयर ग्रह दे रखा है। (Interruptions) Then it should have been given in our Rules. If you have not given it in the Rules then it is your fault. You should work as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. तो इसमें Nothing

is written about one hour or two hours. जो आप धमेट कर रहे हैं। that is a different thing. This is a special notice.

प्रो संपत सिंह : सर, ये कह रहे हैं कि it is your fault. मैं ऑन रिकार्ड यह कह रहा हूँ कि it is not your fault. यह जो आपकी रूलज कमेंटों बनी थीं उसे आप देखें उसमें चेयरमैन स्पीकर होते हैं और वीरेन्द्र सिंह जी जो इनकी पार्टी के हैं। और काफी सीनियर हैं वे इसमें मंबर थे वे भी वकील हैं, पढ़े लिखे हैं (विघ्न) तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये चेयर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई चीज हो, रूल हो, कांस्टीच्यूशन के निर्माताओं से ज्यादा इंटेलीजेंट कोई नहीं हो सकता। (शोर एव विघ्न) Nobody is to be blamed. इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट चलती रहती हैं प्रैक्टिस भी होती हैं, प्रैसिडेंट्स होते हैं We are governed by those.

श्री अध्यक्ष : पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहना ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आपने रूल कोट किया 119 In Rule 119, it is mentioned --

"In case of doubt as to the interpretation of the rules, decision of the Speaker shall be final.

There is not doubt because it is given very clearly. When it is given very clear by that 'before the business is entered upon', then where is the doubt. Rule 119 is applicable only when there is a doubt.

श्री अध्यक्ष : आपने कह लिया अब सुनिये इसमें क्या है। इसमें दिया है --

"Motion of Confidence and No-Confidence" in the Council of Ministers.

The expression 'before the commencement of the sitting' means a reasonable time before the commencement of the sitting. A notice of No-Confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House has to be given by 10.00 hours on that day, i.e. an hour before the commencement of the sitting. Such notice, if received after 10.00 hours, is valid only for the next sitting.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, आप इसमें टैक्नीकल चीज में न जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो संपत सिंह : कानून में क्यों नहीं जायेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे तो टैक्नीकली कानून में क्यों नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कानून बनाने वाली जमात है इसलिए कानून की बात होनी चाहिए। लेसिस्लेशन असैम्बली है इसलिए लेसिस्लेशन बनाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री० मजन लाल : स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

वाक-आउट

श्री० मजन लाल : स्पीकर साहब, मैं इस मोशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री० मजन लाल : स्पीकर साहब, यह बड़ी ज्यादाती है। बैठकर क्या करेंगे अगर आप हमें बोलने नहीं देते तो हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(At this stage, all the members of the Indian National Congress Party present in the House followed by Sh. Karan Singh Dalal, a member of the Republican Party of India, Sh. Jagjit Singh Sangwan, a member from the Nationalist congress Party and S/Shri Dev Raj Dewan, Rajinder Singh Bisla, Jai Parkash Gupta, Bhim Sain Mehta, Tejvir Singh and Udai Bhan, Independent Members staged a walk out as a protest against the Hon'ble Speaker's decision not agreeing with their plea to take up the notice of no-confidence on priority.)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन्स के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :—

1. Shri Bhagi Ram, M.L.A.
2. Shri Pura Singh Dabra, M.L.A.
3. Shri Anil Vij, M.L.A.
4. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Member, I nominate the following members to serve on the committee on Petitions under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

1. Shri Gopi Chand Gahlot,	Ex-Officio Chairperson Deputy Speaker
2. Shri Ram Bhagat, M.L.A.	Member
3. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.	Member
4. Shri Jasbir Malhour, M.L.A.	Member
5. Shri Jitender Singh Malik, M.L.A.	Member

(iii) सदस्यों की निरर्हता

Mr. Speaker : Hon'ble Members in pursuance of Rule 8(2) of the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986, I have to report that Sarvshri Daryab Singh and Moola Ram, MLAs have become subject to disqualification from the membership of the Haryana Vidhan Sabha w.e.f. 5.11.2004 under the 10th Schedule to the Constitution of India, on the petition filed by Sh. Nafe Singh Rathi, M.L.A.

(iv) हरियाणा के राज्यपाल से संदेश बारे

(a)

Mr. Speaker : I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Governor of Haryana, returning the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004.

"I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004, which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts :-

1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered a period of 45 days in normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others

[Mr. Speaker]

(reported as AIR 2002 Punjab & Haryana, Page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“ on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to completed the process of election”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed amendment”.

(b)

Mr. Speaker : I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Governor of Haryana, returning the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004.

“I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004, which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts :—

- “1 The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipal Corporation, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered a period of 45 days is required for conducting Municipal Corporation elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 44 and 42 days, respectively to complete the process of Municipal Corporation elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana, Page, 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“... on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed amendment”.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Governor of Haryana returning the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004.

“I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004; which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts :-

1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 28 days is normally required for conducting Panchayat elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days, respectively to complete the process of Panchayat elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana, Page, 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :-

“... on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections

[Mr. Speaker]

prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election

Therefore, the existing provision of Section 161(D)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever."

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। अभी आपने जो महासचिव राज्यपाल महोदय का सन्देश पढ़ा है (शोर एवं व्यवधान) राज्यपाल महोदय ने इस बारे में पूरा एतराज किया है इसलिए अब बिल को दोबारा हाउस में लाने की आवश्यकता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No discussion at this stage.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। यह कोई तरीका नहीं है। अभी डिस्कशन का समय नहीं है। भजन लाल जी येरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, जब बोलने का समय आयेगा तब आपको बोलने का समय दिया जायेगा। अब आप बैठें क्योंकि अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्भत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? ये किस बात पर बोलना चाह रहे हैं ? अभी बिल कहाँ आया है ? अभी तो आप एनाउंसमेंट कर रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें। आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। यह तो केवल एनाउंसमेंट थी। मैंने तीनों पैरे पढ़े हैं जिनमें गवर्नर साहब का मैसेज है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्लीज, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। गवर्नर साहब ने लिखा है कि रिकॉर्डिंग करो। प्लीज, आप बैठें आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

* घेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सिलम्बर, 2004 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ :-

September Session, 2004

1. The Punjab Surgarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill 2004.
2. The Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 2004.
3. The Haryan Urban Development Authority (Second Amendment) Bill, 2004.
4. The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 2004.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.30 A.M. on Wednesday, the 1st December, 2004 in the Chamber of the Honble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Wednesday, the 1st December, 2004 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Thursday, the 2nd December, 2004, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 1st and 2nd December, 2004 be transacted by the Sabha as follows :-

Wednesday, the 1st December, 2004
(2.00 P.M.)

1. Obituary References.
2. Questions Hour.
3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.

[Mr. Speaker]

5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon.

6. (i) Presentation of Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment) and the Report of the Estimates Committee thereon.

(ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment).

7. Legislative Business.

Thursday, the 2nd December, 2004
(9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Motion under Rule-121 for suspension of Rule-30.

3. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.

4. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*.

5. Papers to be laid, if any.

6. The Haryana Appropriation Bill, 2004 in respect of Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment).

7. Legislative Business, if any.

8. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल (आदमपुर) : स्पीकर साहब, आपने यह मोशन मूव कर दिया है जबकि हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। सरकार बहुत से बिल ला रही है, उन पर सभी मैम्बरों ने बोलना है। दो दिन का हाउस का समय काफी कम है। मेरा अनुरोध है कि इसे और बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिजनैस एडवार्जरी कमेटी की मीटिंग 11.30 बजे थी जबकि आप लोगों ने नो कांफीडेंस मोशन बाद में दिया था। इस मीटिंग में कैप्टन साहब भी थे उस वक्त नो कांफीडेंस मोशन का कैप्टन साहब ने कोई जिक्र नहीं किया था। उस वक्त सारा बिजनैस यूनानिमसली पास हुआ था।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, लेकिन अब तो हमारी तरफ से नो कांफीडेंस मोशन आ गया है। अब हमारी बात को ध्यान में रखते हुए हाउस की सीटिंग और बढ़ाई जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया है कि आपका वह मोशन अन्दर कंसीडरेशन है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से लेकर आज तक ये बता दें कि इन्होंने कभी भी नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट न किया हो। इन्होंने कभी भी नॉन ऑफिशियल डे को नॉन ऑफिशियल डे नहीं रहने दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बताएं कि क्या आपने कभी कोई नॉन ऑफिशियल रैज्योल्यूशन दिया है ? अब आप दोनों बाप बेटा मिल कर कोई रैज्योल्यूशन दे दें तो उसको कंसीडर कर लिया जायेगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बी०ए०सी० की मीटिंग के अन्दर सेशन के लिए जो दो दिन का समय निर्धारित किया गया है वह यूनानिमसली पास हुआ है। जहां तक चौधरी साहब ने नॉन ऑफिशियल डे की बात कही है, स्पीकर साहब, मैं यह कहता हूँ कि चार-पांच साल के अन्दर आपने नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट किया है। स्पीकर साहब, इसमें कोई शंका नहीं है यह रिकार्ड की बात है और एक शब्द आप और जोड़ लीजिए यह फाईल की बात है। दोनों ही बात मानी जाएं यह रिकार्ड और फाईल की बात है। स्पीकर साहब, नॉन ऑफिशियल डे ओपोजीशन के मैम्बरों के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल होता है बहुत बड़ा हथियार होता है जिसको वह सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें नोटिस दे कर नॉन ऑफिशियल बिल लाने चाहिए ताकि नॉन ऑफिशियल बिजनैस पर डिस्कशन हो सके। अपने आप में इनकी यह कमजोरी साबित होती है क्योंकि ऐसा कोई बिजनैस विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास कोई नॉन ऑफिशियल बिजनैस ही नहीं है तो नॉन ऑफिशियल डे में क्या काम करेंगे ? नॉन ऑफिशियल बिजनैस तो तभी होगा जब ओपोजीशन के मैम्बरों इसके लिए कुछ बिल देंगे (विघ्न) सरकार की तरफ से जो बिजनैस दिया गया है उसके लिए दो दिन मोर दैन सफिशियेंट हैं। ओपोजीशन की तरफ से कोई बिजनैस आया नहीं जिसको नॉन ऑफिशियल डे में डिस्कस करें। सरकार की ऐसी कोई मन्चा नहीं है कि नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट किया जाए। सरकार सेशन के लिए टाईम बढ़ाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बरों अपने सुझाव

[प्रो० सम्पत सिंह]

दे सकें। अध्यक्ष महोदय, इस दर्म का यह भी रिकार्ड है कि एक साल के अन्दर फोर्थ टाईम सेशन बुलाया गया है। हरियाणा की असेम्बली में अपने आप में यह एक रिकार्ड है कि फोर्थ टाईम असेम्बली का सेशन हो रहा है। पहले मुश्किल से छः महीने में केवल औपचारिकता पूर्ण करने के लिए सेशन बुलाया जाता था क्योंकि विद्वान सिक्स मन्थ्स आपको हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ती है। यहां पर औपचारिकता नहीं है इन यहां पर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बाकायदा डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। चार सेशन इस साल हो गए हैं और दो दिन के लिए शारी पार्टियों ने मिल कर इस बिजनेस को पास किया है। हो सकता है कैप्टन साहब ने चौधरी भजन लाल जी को मैसेज कन्वे न किया हो कि यूनायिंसली यह बिजनेस निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस की कार्यवाही आगे बढ़ाएं ताकि हाउस की कार्यवाही आगे चल सके।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। आप चेयर की परमिशन के बिना बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (विज्ज) आप अपनी सीट पर बैठें। (विज्ज)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to re-lay on the Table of the House :—

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 21/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 7th February, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 32/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 132/H.A. 13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Rules, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 135/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003, regarding amendment in the Haryana Govt. Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 10/H.A. 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding exemption/reduction of Tax with effect from 22nd January, 2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 11(1) of the Act ibid and all other enabling powers and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the amendment in Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 118/H.A. 13/2000/S. 11/2000 dated 29th September, 2000, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 12/H.A. 13/2000/S. 3/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding specification of rates of tax on entry of goods into local area except those specified in schedule-A appended to the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Act ibid and all other enabling powers in this behalf and in supersession of Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 9/H.A. 13/2000/S. 3/2003, dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 45/H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) (Second

[Prof. Sampat Singh]

Amendment) Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Education Department Notification No. S.O. 22/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 20th February, 2004, regarding the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education Department Notification No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 11th August, 2004, regarding the Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 153/H.A. 9/1979/Ss. 3 and 8/2004, dated the 1st October, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Third Amendment Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 213/H.A. 6/2003/S. 60/2004, dated 26th October, 2004, regarding the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 242/H.A. 6/2003/S. 60/2004, dated 27th October, 2004, regarding the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2004, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2003-2004 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2003-2004 in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(1) श्री जय प्रकाश बरवाल: भूतपूर्व एम०एल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, MLA, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) regarding taking of

Mock Chair in the Well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parakash Barwala, Ex-M.L.A. (now M.P.) on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) regarding taking of Mock Chair in the Well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parakash Barwala, Ex-M.L.A. (now M.P.) on 5th March, 2002

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

(i) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०एच के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, MLA, Chairperson, 16.00 बजे Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) in taking Mock Chair in the Well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (now M.P.) in taking Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharambir Singh, M.L.A. and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on

the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharambir Singh, M.L.A. and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

(iv) डा० रघुवीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour M.L.A., against Dr. Raghbir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghbir Singh Kadian, M.L.A., on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A., against Dr. Raghbir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the

[Shri Bhagwan Sahai Rawat]

House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ Breach of privilege etc. by Dr. Raghbir Singh Kadian, MLA, on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Malik Chand Gambhir, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

Shri Malik Chand Gambhir (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment) will take place.

As per past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 1 Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 62,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 2 General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 53,69,92,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 3 Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,20,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 5 Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,600/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,19,04,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 7,89,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 11-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 48,26,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 55,61,49,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,14,34,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

[Mr. Speaker]

course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,21,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 99,66,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 19,75,57,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,68,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 13,69,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 17 Agriculture.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 54,14,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 21-Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 28,00,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,50,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,84,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.**

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 62,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 2-General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 53,69,92,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 5,20,49,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 5-Excise & Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 6-Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 9-Education.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,19,04,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,89,49,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 11-Urban Development

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 48,26,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 12-Labour & Employment.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 55,61,49,000/- for revenue expenditure and Rs. 20,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 13-Special Welfare & Rehabilitation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,14,34,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of Demand No. 14-Food & Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 70,21,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 99,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the

[Mr. Speaker]

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 18,75,57,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,68,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 13,69,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 17-Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 54,14,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 21-Community Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 28,00,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,24,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2004 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period *i.e.* till the publication of their names in the official gazette ; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed Amendment."

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period *i.e.* till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

[Prof. Sampat Singh]

2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed Amendment.”

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed Amendment."

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठिये, मैंने श्री कर्ण सिंह दलाल को बोलने के लिए कहा है। आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *

श्री अध्यक्ष : जो चौधरी भजन लाल जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि इनकी सबक लेना चाहिए कि हरियाणा के इतिहास में शायद ही यह पहली बार हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को सरकार के पारित बिल को नामजूर करके बाकायदा उन्होंने विस्तर से संविधान की मर्यादाओं का व्याख्यान करके विधान सभा को अपना पत्र भेजा जिसे आपने पढ़कर सुनाया। यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछली बार जब सरकार यह बिल लेकर आई तो हमने उस पर एतराज किया था। यह सरकार हरियाणा के दुःख तकलीफों के बारे में कोई बिल लाती ताकि हरियाणा के लोगों को सुख सुविधा मिलती।

श्री अध्यक्ष : जब ये बिल लाया गया आप तो उस समय थे ही नहीं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय यहीं था और इस बिल के विरोध में बोला भी था, आप मुझे हाउस से निकालना भी चाहते थे। लेकिन मैं निकल नहीं सका। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मुद्दा है। जब यह बिल पास हुआ उस समय हरियाणा की जनता इस बात से बड़ी परेशान थी। लेकिन अब हरियाणा की जनता में राहत की सांस ली है और उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद किया। हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय ए०आर० किदवई का एहसान मानते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं

* धेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

की कदर करते हुए यह बिल मंजूर नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बला रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह बिल नामंजूर करके बड़ी हिम्मत का काम किया है और सरकार ने जो गलती की थी राज्यपाल महोदय ने उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की है तथा लोगों ने राहत की सांस ली है। आज नगरपालिकाओं के चुनाव जो यह सरकार करवाना चाहती है तो मैं कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं की हालत की सरकार को जानकारी नहीं है। आज शहरों की हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि सरकार उनके कोई काम नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप सबजेक्ट पर ही बोलें, बिल में चुनावों का कोई जिक्र ही नहीं है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राज्यपाल महोदय के परामर्श के बाद सरकार को यह चाहिए था कि ये दोबारा इस बिल को रिकंसीड्रेशन के लिए न लाते। क्योंकि यह सदन की गरिमा का सवाल है, हम कोई बिल पास कर दें और राज्यपाल महोदय उस बिल को वापिस कर दें।

श्री अध्यक्ष : फिर सदन की गरिमा क्या रही, सदन की गरिमा तो यही है कि सदन ने जो कर दिया फिर वह ठीक किया। लेजीस्लेटिव सुप्रीम है। (विघ्न) दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ। मैं कन्वलयूड करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल जनता के हित में नहीं है इसलिए इसको रिकंसीड्रेशन के लिए नहीं लाना चाहिए। 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट जो कंस्टीट्यूशन में की गई है उसमें उनको ओटोमैती दी गई है कि नगरपालिकाएं अपना कार्यकाल, अपनी बर्किंग अपने तरीके से चलाएंगी। इसमें सरकार का या विधानसभा का कोई दरखल नहीं होगा। फिर श्री विधान सभा इस बिल को दोबारा पारित करती है कि 120 दिन पहले चुनाव करवाए जाएं तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, चुनावों का इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। (विघ्न) चुनाव कराए जा सकते हैं, कराएं या न कराएं बाद की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहता हूँ कि आज जरूरत है तो विधान सभा चुनावों की है। विधान सभा की 8 सीटें आज के दिन खाली हैं इसलिए पहले विधान सभा के चुनाव होने चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी पहले विधान सभा के चुनाव करायेंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे इसलिए मुख्यमंत्री जी यहां सदन में खड़े होकर कहें कि पहले विधान सभा के चुनाव होंगे तो हम भी इनका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात खत्म तो करने दें।

श्री रामदीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूँ कि माननीय कोर्ट के आदेशों के मुलाबिक मेरे माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल हाउस की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मेरी जानकारी के मुताबिक ये विधायक तो रह सकते हैं लेकिन हाउस की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष : ये हाउस की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते। (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, जब आप इस बिल पर न हाँ कह सकते, न ना कह सकते तो आपके बोलने का क्या फायदा। प्लीज आप बैठें। आपको बोलने का समय दिया गया था और आप अपनी बात भी कह चुके हैं।

फ़ैटन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी, प्लीज आप बैठें। आप भी अपना वोट नहीं डाल सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, सरकार तो किसी से नहीं डरती। प्लीज आप बैठें आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शादी लाल बतारा : अध्यक्ष महोदय, जब पहले यह बिल आया था उस समय असेम्बली में यह पास किया गया था। सबसे पहले मैं संविधान की धारा 168 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसमें यह साफ लिख हुआ है कि— For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor. यह असेम्बली ने बिल पास किया और मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेज दिया। असेम्बली और गवर्नर दोनों ही संविधान के पार्ट एंड पार्शल हैं। गवर्नर के पास यह बिल गया। गवर्नर ने इस पर लीगल ओपीनियन ली, कंसीडर किया और कंसीडर करके जो रिमार्कस दिए वे इस प्रकार हैं :—

“The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment.”

उनका व्युत्पत्ति था कि इसमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है जबकि सरकार इस बिल को दुबारा सदन के पटल पर ले आई ताकि इस बिल को पास किया जा सके। इसमें सरकार की क्या मंशा है ? इसमें गवर्नर साहब ने कोई आब्जेक्ट नहीं बताया। आप इसे क्यों पास कर रहे हैं और इसमें इतनी जल्दी क्यों की जा रही है ? इसके लिए यह हो सकता है कि सरकार के दिमाग में यह मंशा आ गई कि गवर्नर साहब को नीचा कैसे दिखाया जाये। गवर्नर साहब को पावर को कैसे खत्म किया जाये और हम अपनी सुपीरियरिटी कैसे दिखाएं ? अगर सरकार की यह मंशा है तो यह प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ऐसा करके हम प्रजातंत्र की नींव खोखली कर रहे हैं और इसमें हमें गवर्नर साहब की जो ओपीनियन थी उसकी अवहेलना न करके उसको मानना उचित है क्योंकि या तो यह सरकार यह बताए कि यह बिल लाना क्यों जरूरी है। इसमें पब्लिक के इन्ट्रेस्ट क्या हैं और सरकार की मंशा क्या है ? जब एक सरकार के थे भेन आब्जेक्टस कलियर नहीं होते तो उसको दुबारा फिर पटल पर ला कर फिर वही बात की जाये तो अच्छा नहीं है। आज अगर सिर्फ सरकार की वोटिंग ज्यादा है तो फिर हाथ खड़े करके आप यह बिल पास करवाना चाहते हैं तो फिर यह

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री शादी लाल बत्तार]

प्रजातंत्र नहीं है। यह प्रजातंत्र पर एक प्रहार है। इसमें हरेक की ओपीनियम लेनी चाहिए। इस बिल के बारे में सरकार को रिज्ज बताने चाहिए कि किन रिज्ज की वजह से इस बिल को पास करवाना चाहते हैं और क्यों वे एम०सी० के इलैक्शन पहले करवाना चाहते हैं ? इसमें एडवांस टाइम 45 दिन का दिया है। सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है ? यह सरकार अपने कार्यकाल के अन्तिम चरण में है। अन्तिम चरण के समय ऐसा कन्ट्रोवर्शियल बिल पास करवाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी कोई ठीक बात नहीं है कि गवर्नर साहब के साथ कोई कन्ट्रोवर्शी खड़ी की जाये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को दुबारा सदन की पटल पर न लाये और इस बिल को पास न कराए। श्रम्यकार।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : स्पीकर साहब, अभी मेरे से पूर्व दो माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट में नहीं हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक सिस्टम में जो सुप्रीम बॉडी होती है वह इलैक्टिड बॉडी होती है न कि नामिनेटिड बॉडी। ये खुद इलैक्टिड आदमी है और खुद अपने खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं जो गवर्नर और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध बात कही है वह ठीक नहीं है। सुप्रीम बॉडी गवर्नर साहब हैं। वे किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं। क्या इस हाउस को दुबारा उस बिल पर विचार करने का कोई राईट है या नहीं ?

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : डा० साहब आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। डा० साहब आप बैठ जाएं। (शोर) आई वार्न यू ! मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मैं इन भाईओं से पूछना चाहता हूँ कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं या गवर्नर साहब के प्रतिनिधि हैं। (विघ्न) मैं अपनी बात कह रहा हूँ। स्पीकर साहब, कान्स्टीट्यूशन ने सुप्रीम राईट लेजिस्लेटीव को दी है। Legislative is supreme. We have every right to speak. (विघ्न)

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, ये हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (विघ्न)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, -----

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपको वार्न करता हूँ आप बैठ जाएं। आप दूसरे नैम्बरों को बोलने दें। वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वे भी मैम्बर हैं। उनकी भर्जी है मैं उनको उनके बोलने के तरीके से नहीं रोक सकता।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर महासभ्य गवर्नर महोदय को किसी बिल को वापस करने का अधिकार है तो क्या इस सदन को उसे पास करने का अधिकार नहीं है। (विघ्न) कौन सी व्यवस्था बिगड़ गई है ? (विघ्न एवं शोर) डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपकी कौन सी व्यवस्था बिगड़ गई है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग शांति रखें और अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपने साथियों को उनकी सीटों पर बिठाएं। (विघ्न) पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपनी बात कहें। (विघ्न) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें। (विघ्न) कर्ण सिंह जी आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) कैप्टन साहब, आप भी अपनी

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सीट पर बैठें। (विघ्न) पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े हैं उनको बोलने दीजिए। (विघ्न) विज साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी परमिशन ले कर बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि दो दिन का सेशन है समय बहुत कम है। दूसरी तरफ ये लोग हाउस का टाईम वेस्ट करते हैं। चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी ने जो बात कही वह आपने सुनी है, सारे हाउस ने सुनी है। इसी तरह से कोई भी मੈम्बर आपकी इजाजत ले कर बोल सकता है। आप जिसको इजाजत देकर बुलवाना चाहेंगे वह बोलगा लेकिन अपने समय पर बोलेंगा। अगर कोई मੈम्बर बोल रहा है तो उसको बीच में टोकना ठीक नहीं है। छ-छ: मੈम्बर किसी मੈम्बर को बोलते हुए टोकें यह ठीक नहीं है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती है और इससे हाउस की प्रोसीडिंग पर असर पड़ता है। आपसे फिर मेरी वह रिक्वेस्ट है कि कायदे से हाउस को चलाएं। मैं सभी मੈम्बर साहेबान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग को-ऑप्रेशन से हाउस को अच्छे तरीके से चलाएं। सभी मੈम्बर अपने अच्छे सुझाव दें उन सुझावों को हम सुनेंगे। सरकार उन सुझावों पर गौर कर रही है। सभी मੈम्बर के एक-एक सुझाव को हम नोट कर रहे हैं। उनकी सभी बातों का वाक्यांश हम जवाब देंगे। आराम से और तसल्ली से एक-एक मੈम्बर बोले न कि छ-छ: मੈम्बर एक साथ बोलें। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि एक साथ छ-छ: मੈम्बर को नहीं बोलना चाहिए, जिसको आप समय दें वही सदस्य बोलें।

श्री अध्यक्ष : यह डिस्कशन है और यदि आपकी पार्टी का कोई मੈम्बर बोलना चाहता है तो बोल सकता है और डिस्कशन में भाग ले सकता है। (विघ्न) महामशिम गवर्नर साहब की शान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला गया है। ये अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे अधिकार क्या हैं अपने अधिकारों के लिए हर कोई बोल सकता है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसमें गवर्नर साहब के अधिकारों का कहां पर हनन हो गया (विघ्न) मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, ये फिर कम्प्यूज हो रहे हैं और यहां पर फस क्रिएट हो रहा है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। क्या यहां पर गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज कर सकते हैं। (विघ्न) इन्होंने कहा है। (विघ्न) यहां पर असेम्बली के अन्दर गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि इनको ऐसा अधिकार नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज नहीं कर सकते हैं इसलिए इनकी बात को हाउस की कार्यवाही से निकाला जाए। आप मੈम्बर से कहें कि गवर्नर साहब के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चौधरी भजन लाल जी से पूछिए कि इन्होंने ऐसी क्या बात कह दी जो गवर्नर साहब की शान के खिलाफ है। ये यह बताएं कि ऐसा क्या कहा गया है ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं अपनी बात रिपीट करना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह मोशन सबरटैटिव है और यह इससे जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि हमने इस बिल को पास करके भेजा है इसमें गवर्नर साहब के मान या शान के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित दोस्तों को यह पता नहीं है कि गवर्नर साहब ने क्या लिखकर भेजा है। चौधरी भजन लाल जी स्वयं खड़े होकर सदन में बला दें कि गवर्नर साहब ने क्या लिखकर भेजा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह लिखकर भेजा है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। जब कि रूल में यह है कि दो महीने पहले ही इलैब्रेशन करवा सकते हैं तो ये चार महीने पहले क्यों करवाना चाहते हैं। (शोर) मैं जो कह रहा हूँ उनका यही मतलब है। ये जो लोगों की आंख बंद करना चाहते हैं वह हो नहीं सकता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी, जो आप कह रहे हैं यह इसमें नहीं है। स्पीकर साहब, ने बहुत सोच समझ कर आपके साथ चौधरी बंसी लाल जी को बिठाया है। ये आपके कान में एक बात कहेंगे और आप झट से बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे और आप अपनी कही हुई बात में ही फंस जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। आप जो यहाँ बोल रहे हैं वह सब रिकार्ड हो रहा है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप बंसी लाल जी की बात में नहीं आएँ।

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठें। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। अनिल विज जी आप कंटीन्यू करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने क्या लिखा है वह अलग बात है। इसके अलावा हाउस उस पर विचार करेगा या नहीं करेगा यह अलग बात है। माननीय सदस्यों ने यहाँ पर कह दिया कि गवर्नर साहब ने यह कह दिया, वह कह दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहाँ पर अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नर साहब ने कुछ कह दिया तो हमें यहाँ उस पर पुनः विचार करने का अधिकार है। हमारा देश हैमोक्रैटिक है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रजातन्त्र में इलैक्टिड बॉडी सुप्रीम होती है। जनता ने हमें चुनकर यह अधिकार दिया है। हम चुने हुए सदस्य हैं और सदन में अपनी बात कहने का हमें अधिकार है। गवर्नर साहब, ने जो कहा है हम उस पर यहाँ विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष

महोदय, यहां पर इलेक्ट्रिक मैम्बरज हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। (शोर) फौजी मैं तो अपनी जगह पर टिका हुआ हूँ संतुलन तो आप खो गए हो। (शोर)

श्री राम किशन फौजी : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठें। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगनी चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय हाउस ने गवर्नर साहब को एक अपील भेजी और वह माननीय गवर्नर साहब के पास गई। गवर्नर साहब ने इस अपील पर सर्वे आम्बर्डेज देकर रि-कंसिडरेशन के लिए भेजा है। उन्होंने इसको रिजैक्ट नहीं किया है। आपने इसको अपनी तरफ से ही फीड-अप कर दिया और दो-तीन बातें कह दीं। माननीय गवर्नर साहब ने दो-तीन बातें प्वायंट आऊट करके उस पर विचार करने के लिए भेजा है। स्पीकर साहब, एक तो उन्होंने यह प्वायंट उठाया है कि दो कंस्टीच्यूशनली बॉडी समान रूप से खड़ी हो जाएंगी। स्पीकर साहब, यह बात हम पहले ही हाउस में डिस्कशन कर चुके हैं और प्रोसीडिंग में भी यह बात रिकार्ड में है। राज्यसभा के अंदर भी टाईम से पहले इलैक्शन हो जाते हैं और जो आदमी डेप्युटी होता है वह अलग रहता है और इलेक्ट्रिक अलग रहता है। उसकी टर्म की एक्सपायरी खत्म होने के बाद ही अगला मैम्बर ओथ लेता है। हम अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र नहीं करना चाहते। स्पीकर साहब, इस तरह से जहाँ तक यह बात है तो इसका जबाब तो पहले से ही डिस्कशन में आ गया था। गवर्नर साहब अगर इन चीजों को निगाह में रखते तो शायद यह बात नहीं आती। अगली बात गवर्नर महोदय ने और कही, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डि-कंसिडरेशन का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि—

“How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down.”

जहाँ तक यह बात है तो यह आलरेडी इसमें ले डाउन की हुई है। स्पीकर साहब, आदमी लो बदलते रहते हैं लेकिन कंस्टीच्यूशनल हैड तो रहता ही है। उस वक्त के जो श्री गवर्नर महोदय थे उन्होंने बाकायदा हमारे उस एक्ट को पास किया था जिसमें 60 दिन का टाईम पीरियड प्रेसक्राइब्ड किया हुआ था तो यह अपने आप में कंस्टीच्यूशनल आ जाता है कि क्यों उस वक्त के गवर्नर महोदय ने उसको पास किया था ? इस तरह से यह रैलेगैरी इसके साथ नहीं जुड़ती क्योंकि 60 दिन आलरेडी हैं। दूसरे अब 120 दिन का जो टाईम कर रहे हैं तो 120 दिन का मतलब यह नहीं है कि आप 120 दिन पहले चुनाव करा रहे हैं। यह काम तो स्टेट इलैक्शन कमीशन का है। स्पीकर साहब, यह कह रहे हैं कि सरकार ने गलती की है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कोई गलती नहीं की है। बाकायदा कैबिनेट में पास होने के बाद हाउस से यह पास करवाया है। लेकिन यह फिर भी कहते हैं कि हाउस ने गलती की है हाउस कभी गलती नहीं करता। इनको यह कहना शोभा नहीं देता कि हाउस ने गलती की है क्योंकि हम जिस हाउस के मैम्बर हैं और जिस हाउस में हम बैठे हैं, अगर हम ही यह कहें कि हाउस ने गलती की है तो ठीक नहीं है। हाउस ने कोई गलती नहीं की है हाउस ने तो इसको पास किया है। गवर्नर महोदय ने जो रि-कंसिडरेशन के लिए

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्मत सिंह]

कहा है ठीक है, उन सब बातों को हमने नोटिस में लिया है और ये सारी चीजें आलरेडी प्रोसीडिंग्स में भी आ चुकी हैं। स्पीकर साहब, यह बार-बार जिज्ञा करते हुए कह रहे थे कि इस बिल को दोबारा से हाउस में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी है। भजन लाल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लाने की दोबारा आवश्यकता इसलिए पड़ गयी है क्योंकि 2 अप्रैल, 2000 को म्यूनििसिपल कमिटीज के चुनाव हुए थे। अब दो अप्रैल से पहले-पहले अगर इनके चुनाव करवाते हैं तो उधर तो असेम्बली का चुनाव आ जाता है और उधर पंचायत का चुनाव समान रूप से आ जाता है तो इस तरह से स्पीकर साहब, यह तो टाईम की बात है लेकिन डेट के लिए हम टाईम वापंड नहीं कर सकते। टाईम का जहाँ तक अधिकार है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। वह कांस्टीच्युशनल बाँडी है। बाकायदा स्टेट का इलेक्शन कमीशन बना हुआ है सरकार इस बारे में कोई टाईम नहीं देती है। बत्सरा साहब ने कहा कि गवर्नर साहब की पावर को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। भोजपुरा सरकार गवर्नर महोदय की और उनके पद की गरिमा की इज्जत करती है, उसको बनाकर रखती है। बंसी लाल जी या भजन लाल जी की सरकारों की तरह या किसी दूसरी सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने इस तरह की गरिमा नहीं बनायी थी लेकिन हमने गरिमा बनायी हुई है। स्पीकर साहब, ईवन राष्ट्रपति ने भी पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए बिलों को रि-कंसीड्रेशन के लिए भेजा है। पार्लियामेंट या असेम्बली सुप्रीम बाँडी है। जो कुछ गवर्नर महोदय ने कहा है हमने उन प्वायंट्स को देख लिया है। देखने के बाद अब हमने फैसला लेना है कि आप उस चीज की हम मानें या न मानें। यह हाउस की मर्जी है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार हाउस को है। स्पीकर साहब, जब आप इसको पुट अप करेंगे तो उसके बाद इस बात का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या हाउस इस चीज को चाहता है या नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, सिम्पल सी बात है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब ये बोले हैं तो हमें भी इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा।

प्रो० सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मैंने तो इनकी बातों का जवाब दिया है। (विघ्न) मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, यह कहाँ लिखा हुआ है कि ये बोलेंगे तो आप उसका जवाब देंगे ? आप जवाब देने वाले कोई नहीं हैं।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमें उनकी कही हुई बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। * * * ।

श्री अध्यक्ष : आम किस हैरियत से जवाब देंगे। आप कैसे जवाब देंगे। आपको पता नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। भजन लाल जी, आप बैठिए।

चौधरी भजन लाल : नहीं बैठता। चाहें तो आप मुझे नेम कर दीजिए। हमें इनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। स्पीकर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं।

प्रो० सम्मत सिंह : स्पीकर साहब, क्या स्पीकर के आदेश के बाद कोई मੈम्बर यह कह सकता है कि मैं नहीं बैठूंगा। स्पीकर के आदेश की अवहेलना करना सारे हाउस की अवहेलना करना है।

* * * चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जिसके दिमाग में खराबी आ जाए वह ऐसी बात कह सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अथोरिटी को चेलेंज करना हाउस का अपमान है। (शोर एवं व्यवधान) यह अपमान हाउस का है न कि आपका है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप संतुलन न रखो, ये यहाँ-यहाँ नहीं और जगह भी काम आएगा। इसलिए संतुलन बनाकर के रखो। (शोर)

Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and other (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed Amendment.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2004
(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipal Corporation, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period *i.e.* till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the *de facto* result of curtailing the term of the earlier elected representatives.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is required for conducting Municipal Corporation elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 44 and 42 days respectively to complete the process of Municipal Corporation elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and other (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment.”

17.00 बजे **Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the

[Mr. Speaker]

Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipal Corporation, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is required for conducting Municipal Corporation elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 44 and 42 days respectively to complete the process of Municipal Corporation elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and other (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment.”

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the

Municipal Corporation, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period *i.e.* till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the *de facto* result of curtailing the term of the earlier elected representatives.

2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 45 days is required for conducting Municipal Corporation elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 44 and 42 days respectively to complete the process of Municipal Corporation elections. In the case *Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and other* (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause. Now, clause 2 will be taken up.

डा० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वॉट ऑफ आर्डर है। जैसे इस बिल के माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी ने बताया कि राज्यसभा के मंबर के लिए पहले चुनाव होते हैं और अलग-अलग----- (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब किस क्लॉज पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, पहले आप थर्ड बतायें कि आप किस क्लॉज पर बोल रहे हैं। बिल पर बोलने का समय तो जा चुका है।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

प्र० सम्मत सिंह : स्पीकर सर, यह कोई लरीका नहीं है। Speaker Sir, he is casting aspersions on the Chair. ये क्लाज के बारे में तो बलायें।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (सोर एवं व्यवधान) जिस समय चोखना होला है उस समय तो आप बोलते नहीं हैं, प्लीज अब आप बैठें।

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move---

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Motion moved---

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Question is---

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

3. दि हरियाणा पंचायती राज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2004 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period *i.e.* till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the *de facto* result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 28 days is required for conducting the Panchayat elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days respectively to complete the process of Panchayat elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and other (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the

[Mr. Speaker]

period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

Therefore, the existing provision of Section 161 (1)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever."

Finance Minister : Sir, I beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette, thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the *de facto* result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 28 days is required for conducting the Panchayat elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days respectively to complete the process of Panchayat elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

"...on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

There, the existing provision of Section 161 (1)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever."

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayat Raj bodies, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the *de facto* result of curtailing the term of the earlier elected representatives.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 28 days is required for conducting the Panchayat elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days respectively to complete the process of Panchayat elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows :—

“.....on a combined reading of the provisions in section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior ? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election...”

Therefore, the existing provision of Section 161 (1)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever.”

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल क्यों लाया गया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मन्शा क्या है, मोटिव क्या था इसकी जरूरत क्यों पड़ी । इसमें 60 दिन का प्रोविजन दिया है और ये इसको 120 दिन कर रहे हैं। क्या 120 दिन पहले इलैक्शन करवा के और गजट नोटिफिकेशन अगली पंचायत की टर्म खत्म होने से एक हफ्ते पहले भी हो तो क्या इतने दिनों तक दो सरपंच इलैक्टिड रहेंगे ? पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस चीज को अपनी जजमेंट में डिटेल्ड डिसकस किया है और यह बिल गवर्नर साहब

[श्रीधर शंसी लाल]

ने रि-कॉन्सिडरेशन के लिए भेजा है। गवर्नर साहब को हमें लाईटसी नहीं लेना चाहिए। Governor is Governor, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या गवर्नर साहब को यह अधिकार है। सदन में अधिकारों के बारे में बताना चाहूंगा कि गवर्नर साहब को बहुत अधिकार हैं, गवर्नर साहब के अधिकारों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। (शोर) गवर्नर साहब ने जो डाकूस को हाईकोर्ट की जजमेंट भेजी है उसके कुछ भागने हैं। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम गवर्नर साहब को, हाईकोर्ट की ज्यूडिशियरी को इन्फोर कर रहे हैं। क्या हम इस बिल को पास कर सकते हैं, अगर हम इस बिल को पास करेंगे। Then it will be in the contravention of the Article 243 of the Constitution of India, Constitution of India के आर्टिकल 243 (e) में लिखा है कि पंचायत की टैन्चोर पांच साल की होगी। इस बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रूलिंग है कि आप उस की टैन्चोर पांच साल से कम नहीं कर सकते हैं तो हम इसको क्यों छटाने पर आया है। इसके पीछे जो गवर्नमेंट के इरादे हैं वे नेक इरादे नहीं हैं, इनकी मैलाफाईडी इन्टेंशन है। इसमें गवर्नमेंट की मंशा नेक नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि गांव बसे। यह चाहते हैं कि गांवों में झगड़े हो जाएं, अगर गांव में 10 गुट भी होंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। ये महज इसलिए कर रहे हैं कि गांव में गुट बाजी तेज हो जाए, लड़ खल जाएं। कोई न कोई तो भूला गटका आ जाएगा, किसी को बानेदार से कहलवाएंगे। इस बिल को लाने के पीछे गवर्नमेंट के नेक इरादे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की मैलाफाईड इन्टेंशन है। जब गवर्नर साहब ने इनको हाईकोर्ट की जजमेंट भेज दी है तो उसके बाद बाकी क्या बचा है। हाईकोर्ट ने क्लीयर करके यह कहा है कि आर्टिकल 243 (e) की कंटाडिक्शन है और गवर्नमेंट इसकी टैन्चोर पांच साल से कम नहीं कर सकती है। आपका अपना बिल कहता है कि जो नोटिफिकेशन नए बिल की होगी वह अगली पंचायत की टैन्चोर के 7 दिन पहले होगी। क्या आप 120 दिन पहले इलैक्शन करवाकर 113 दिन तक नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, वह रिजल्ट वैसे ही रखा रहेगा। जो नए सरपंच चुने जाएंगे, वे पुराने सरपंच को क्यों काम करने देंगे। हाईकोर्ट ने यह भी लिखा है कि ऐसे केंसिज़ भी होंगे कि अगर इलैक्शन हो जाए तो पहले पंचायत के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वह उस पैसे को खुर्दबुर्द करेगी। तो पहले इलैक्शन करवाने से ये सब बातें होंगी। ये सब बातें हैं जिनको हाईकोर्ट ने देखा है इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर इस सरकार को इस बिल को पास नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बिल को बाइज्जट वापिस ले लेना चाहिये। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट में यह पहली पेशी में ही रिजैक्ट हो जाएगा दूसरी पेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां तो यह है कि न तो हाईकोर्ट की जरूरत है, न गवर्नर की जरूरत है और न ही असेम्बली की जरूरत है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री की जरूरत है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस बिल को वापिस लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की क्लॉज 2 के बारे में कहना चाहता हूँ। जिसमें सब-सेक्शन में words, "2 months" and "4 months" के सबस्टीट्यूट करने की बात है। गवर्नर साहब ने इस बारे में जो लिखा है उसमें क्लीयर लिखा है कि—

"the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected would be prevented from holding

office, for an unusually long period”

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि the moment a member is elected, he should hold the office. दूसरी बात यह है कि अगर दो मैम्बर्स होंगे तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मैम्बर चुनाव हार जाता है तो उसको सार्भेगे या जो जीत जाता है उसको सार्भेगे। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी एक अनौमली गवर्नर साहब ने लिखी है। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब ने इस बिल पर इतना टाईम क्यों लिया है, इसना टाईम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स से डिटेल् में चर्चा की। गवर्नर साहब ने सारी जानकारी लेने में ही इतना टाईम लिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि गवर्नर का पद ही समाप्त कर देना चाहिये जबकि आर्टिकल 168 के तहत यह क्लीयर लिखा हुआ है कि Governor is the part of the Legislature, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कांस्टीच्युशन के आर्टिकल 243 (e) में लिखा है कि—

“243e, Duration of Panchayats etc.,-(1) Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer.”

यानी जब से वह इलेक्टिड होगा तब से वह फर्स्ट मीटिंग अटैंड करेगा। इसका मतलब है कि जो मैम्बर इलेक्ट हो गया है It means, he will hold the Panchayat meeting after four months. If it so then it is totally violation of the Constitution। अध्यक्ष महोदय, दूसरे में यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें केवल एक पंचायत के डेजोल्यूशन के बारे में ही कह रखा है लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि A Government can dissolve a single Panchayat but it can not as a whole तो जो यह कहा गया है क्या यह गलत है? इसलिए उन्होंने इस बिल को वापस किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी फाईनल अथोरिटी गवर्नर है। संविधान के आर्टिकल 243K (2) में लिखा हुआ है कि -

“Subject to the provisions of any law made by the legislators of a State, the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine”

इसका मतलब जो यह इलेक्शन होते हैं उसको गवर्नर डिटरमिन करते हैं। लेकिन अगर गवर्नर ही जब गलत महशूस कर रहा है तो फिर वह इसको वापस ही करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब गवर्नर ने यह बात की है तो फिर ये क्यों इस बिल को दोबारा लेकर आ रहे हैं? इससे साफ हो जाता है कि सरकार की * * इन्टेंशन है इसलिए वह पहले चुनाव करवाकर कांस्टीच्युशन को वायलेट कर रही है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर है He is the Statutory Authority to conduct the election. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट, 1994 की सेक्शन 164 और 166 में क्लियर लिखा है कि—

“ Accordingly, it is implied that the elections to the State Assembly must precede the elections to the Gram Panchayat Panchayat Samitis and Zila Parishads or other local bodies.”

हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट में यह भी लिखा है कि जो असेम्बली इलेक्शन हैं वह पहले होने चाहिए। इसमें सैकेंडली यह भी लिखा हुआ है कि—

“the electoral rolls prepared for the purpose of State Assembly Elections can be effectively used for conducting the Panchayat Election also.”

अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्टोरल रोल है वह तीन जनवरी, 2005 को ही पूरे होंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अगर आप 120 दिन पहले चुनाव करने की बात कर रहे हैं तो इस वक्त इसको लेकर यह धारणा बनी हुई है कि 3 जनवरी, 2005 तक तो इलेक्टोरल रोल ही तैयार होंगे इसलिए अगर आप इससे पहले इलेक्शन करवाते हैं तो यह पंचायती राज ऐक्ट के भी विपरीत होगा। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 200 में एसेंट ऑफ बिलज के बारे में यह क्लियर दिया हुआ है कि गवर्नर की पावर क्या है। इसमें लिखा है कि—

“ If the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not without assent therefrom;

Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law so derogate from the powers of the High Court.”

हाई कोर्ट ने बाकायदा इस बारे में एक डिक्लरेशन दिया है। इसके बारे में अभी बंसीलाल जी ने भी जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि अगर इस बारे में हाईकोर्ट का कोई डिक्लरेशन आ चुका है तो इलेक्शन को आप प्रिपोजेन नहीं कर सकते। यह ठीक है कि इस बारे में जो सेंट्रल ऐक्ट है उसमें इस बारे में साईलेंट था लेकिन जब आप लोगों ने पहले ही यह 60 दिन का कर रखा था

तो फिर यह 120 दिन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? अध्यक्ष महोदय, कांस्टीच्युशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 200 के प्रोविजों में लिखा है कि-

“Any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.”

इसका मतलब अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो यह एक तरह से कोर्ट की भी अवहेलना होगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट की सेक्शन 243K में बाकायदा दे रखा है कि-

“Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer..”

तो अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार की मंशा यदि यह है कि वह इसके द्वारा एग्जिट फोल करवाना चाहती है तो वह ठीक नहीं है क्योंकि इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले इसी सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एक पी० आई० एल० डाली थी।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इलेक्शन से क्या भाईचारा खत्म होता है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप इसको सीरियसली लीजिए।

श्री अध्यक्ष : दो महीने बाद भी तो भाईचारा खराब होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : पहले इस सरकार की यह मंशा थी कि पंचायत और निकाय चुनाव असेम्बली इलेक्शन के बाद कराए जाएं तो ए०जी० ने जानबूझकर इसे हाइड किया था कि टर्म फरवरी में ऐक्सपायर होती है। श्री रणदीप सुर्जेवाला जी ने इस बारे में हाईकोर्ट में पी०आई०एल० डाली थी उसके जवाब में हाईकोर्ट में ए०जी० ने यह कहा कि इलेक्टरल रोल तैयार नहीं है इसलिए चुनाव बाद में कराए जाएं तो हाई कोर्ट ने कहा कि फरवरी में चुनाव करा लिये जाएं। बाद में इसके लिए सरकार को कोर्ट में फटकार भी पड़ी। लेकिन अब पार्लियामेंट के चुनाव में वस की वस सीटें हार जाने के बाद अब इनको असेम्बली का चुनाव पहले सूट नहीं कर रहा है इसलिए ये चाहते हैं कि असेम्बली चुनाव से पहले म्युनिसिपल कमिटी और पंचायतों के चुनाव हो जाएं तो सांसायटी डियाइड हो जाए। मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नर महोदय ने जो कि कांस्टीच्युशनल हैड हैं यह बिह रिटर्न किया है उसके बाद सरकार को बड़ा ही सोच समझकर काम करना चाहिए नहीं तो गवर्नर साहब के पास पावर है वे इस बिल को प्रैजिडेंट साहब को भेज सकते हैं इसलिए अब भी आप अगर ऐसा करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी हमारे प्रोफेसर संपत सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी विद्वान हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं अगर ऐसा बिल यदि फिर वापस जाता है तो एक तरीके से कांस्टीच्युशनल हैड की अवहेलना की जा रही है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे चौधरी बंसीलाल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कानून के ज्ञाता रहे हैं काफी समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भी काफी बड़े-बड़े ओहदों पर रहे हैं इन्होंने बोलते हुए कहा कि (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कहीं किसी को इंट्रूट नहीं किया गया। चाहे चौधरी बंसीलाल जी बोले हैं, चाहे कप्तान साहब बोले हैं चाहे कोई और बोला हो। हाउस की गरिमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई आप पर बार-बार डायरेक्ट लाइन लगाए। बिल पास होगा यह इनको भी पता है पर इनकी मंशा यह है कि कैसे ये जाएं, पिछली दफा भी ये चले गए थे।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : असेम्बली में मेजोरिटी का साजायज फायदा उठाया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप किसी को बार्न न करो, किसी को नेम न करो और अगर कोई बैटली इम्बेलेसड है तो डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराओ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : स्पीकर सर, यह बिल पिछली बार जब सदन का अधिवेशन बुलाया गया था उस समय पास किया गया था। उस समय भी यह बात आई थी कि इस बिल को पास करते समय सरकार की मन्शा साफ नहीं है। यह बात उस समय भी आयी थी *****

श्री अध्यक्ष : ऐसे असंवैधानिक शब्द मत बोलिये आप बिल से संबंधित बात बोलें परना बैठ जायें। इनके ये शब्द रिकार्ड न किए जाएं।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, गवर्नर साहब ने कैटेगरीकली यह कहा है कि "The above mentioned facts." पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने यह बात नहीं पढ़ी कि—

"Considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected."

इसमें स्पीकर सर, सरकार की इन्टेंशन क्लीयर दिखाई दे रही है। दूसरा कि जैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय की जजमेंट भी है उस जजमेंट के बेसिस पर ही माननीय गवर्नर महोदय ने लिखा है कि -

"The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Panchayati Raj Act, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment."

इसमें स्पीकर सर, सरकार की मन्शा क्या है पिछले पार्लियामेंट के चुनाव हुये उसमें क्या हुआ ? *****

श्री अध्यक्ष : आप बिल से संबंधित बोलें, पार्लियामेंट के चुनाव का इस बिल से कोई संबंध नहीं है। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आपको पता नहीं है क्योंकि 1995 में आप इस सदन के सदस्य नहीं थे उस समय चौधरी भजन लाल जी ने पंचायत के चुनाव तीन साल बाद ही कराने के लिए बिल पास कर दिया था और उसके बाद फिर पांच साल के लिए कर दिया था।

कैप्टन अजय सिंह साहब : स्पीकर साहब, उस समय यह एकट नहीं बना था।

श्री अध्यक्ष : हमने इलेक्शन की टर्म को नहीं घटाया है बल्कि समय से पहले करने के लिये किया है। टर्म थोड़े ही घट रही है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, पिछली बार जब वह बिल पास किया गया तब इसके बारे में कोई रीजन नहीं दिए गये थे और इस बार भी कोई रीजन नहीं दिए गये हैं। एक बात पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि राज्य सभा के इलेक्शन भी पहले हुए थे। स्पीकर सर, राज्य सभा के चुनाव एक तिहाई सदस्यों के लिए होते हैं और पुराने मੈम्बर भी सदस्य रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : पुराने मੈम्बरज कहां पर सदस्य रहते हैं इलेक्शन होने के बाद मੈम्बर एम०पी० कहां रहते हैं? आप बिल से संबंधित ही बोलें।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इस बिल में अगर ऐसा किया गया तो एक नई प्रथा पड़ जायेगी। ऐसी बात मेरे ख्याल से हरियाणा की डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र है उसमें *****

श्री अध्यक्ष : यह बात रिकार्ड न की जाये ऐसे शब्द रिकार्ड न किये जायें। रघुवीर कादियान जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। मन्त्री और एम०एल०एज० की सहमति ही यह बिल पास हुआ था और अब फिर पास होगा।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, **** यह बिल क्यों लाया जा रहा है और किस लिए सारी बात होगी। यह अलग से प्रथा पड़ जायेगी। इसमें कस्टीथ्यूशन हैड के बारे में जो माननीय मੈम्बर ने कहा है उसको हम डेरोगेटरी रिमार्क काउंट करते हैं। These are derogatory remarks.

गाम एवं आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कभी उधर से महाभक्ति राज्यपाल महोदय के बारे में बात कही जाती है, हम तो यह मानते थे कि डाक्टर साहब रीइसतक के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं, दूसरी तरफ इतनी * * * एम०एल०ए० को पीटने की बात कहते हैं। एक तरफ तो ये पढ़े लिखे आदमी हैं और दूसरी तरफ ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं यह इनको शोभा नहीं देता। (विघ्न) इनको ऐसी भाषा बोलने का परमिट नहीं मिला हुआ। या तो ये पढ़े लिखे नहीं है और अगर पढ़े लिखे हैं तो इनको इस प्रकार से बोलने का परमिट नहीं मिला हुआ है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

** चेयर के आदेशानुसार एक्सपंज कर दिया गया।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप लिमिट में रहें, आप एक मिन्ट में वाइण्ड आप करें।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : परिशीलन की जो रिपोर्ट है उसमें रोहतक सीट को लोकसभा सीट से खत्म करने की साजिश रची गई। यह काम जनता का ध्यान हटाने के लिये किया गया था। मैं कहना चाहूंगा कि रोहतक एक ऐतिहासिक शहर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलौत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं बड़े अदब से आपको कहता हूँ कि जिनकी छूट आपने एक मੈम्बर को बोलने के लिए दे दी उसकी छूट आपने किसी भी मੈम्बर को नहीं दी है। हर चीज की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। एक तरफ तो ये महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में कहते हैं और दूसरी तरफ स्पीकर के बारे में इनका रवैया ठीक नहीं है, हर मੈम्बर के बारे में बैठे-बैठे कमेंट्री करते हैं। हर मੈम्बर का यहां बराबर का अधिकार है। जहां तक चौधरी बंसीलाल जी ने कहा ये काफी सीनियर लीडर है, मैं थोड़े अदब से कहता हूँ ये बतार इनके समय में पंचायतों की क्या टर्म होती थी, कभी 6 साल की टर्म होती थी और कभी 3 साल की टर्म होती थी। इस असेंबली में आज न कोई चुनाव की बात है और न ही कोई और बाल। हाउस की सुपीरियरटी को कोई इन्कार नहीं कर सकता। कोई भी रैजोल्यूशन हम पास करें तो हमें उसको रिक्सीडर करने का अधिकार है। कंस्टीच्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है या नहीं, अगर यह अधिकार हमें दिया है तो हम उस अधिकार को खुद खोना चाहते हैं। (विष्णु) कर्ण सिंह बलाल जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। कुछ साधी 3 बजे से 6 बजे तक हर मੈम्बर के बारे में कुछ न कुछ बोले और 2 सीनियर मੈम्बर को आपने बोलने का पूरा टाइम दिया, उनको पूरी डिबेट का टाइम दिया गया। स्पीकर साहब, इन मित्रों ने तो केवल वाक आउट करना है, केवल वाक आउट ही नहीं, इनमें से एक दो मੈम्बर तो चाहते हैं कि आज उन्हें नेम करें। मैं पूरे हाउस से एक बार कहता हूँ कि हमें हाउस के डेकोरम को रखना है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मंत्री को लिंग पार्टी के एम०एल०एज० को बोलने का कोई हक नहीं है। स्पीकर साहब, ये सारे हाउस के राइट्स के अगेनस्ट बोल रहे हैं। हाउस के राइट्स फर्स्ट हैं और उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं सबसे पहले अपने आप को आफर करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है माननीय साथी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि सायद मैंने गवर्नर साहब के बारे में कोई डैरोगेटरी बात की मैं फैक्टुयल में कह रहा हूँ कि हम इलेक्टिड मੈम्बर हैं और गवर्नर साहब नोमिनेटिड मੈम्बर होता है। what is wrong in it, we are elected representatives and Governor is nominated. (शोर एवं व्यवधान) मैं दोबारा यह बात कहता हूँ we are elected representatives and Governor is nominated. इस बात को कौन इन्कार कर रहा है (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, यह बात आपकी समझ में नहीं आ सकती। हमने कब कहा He is not head, he is head but he is nominated. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन में गवर्नर साहब के मान सम्मान के खिलाफ एक शब्द भी किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय,(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये अभी गवर्नर-गवर्नर कह रहे थे। गवर्नर साहब नहीं कह रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठिये। कैप्टन साहब, भाननीय सदस्य के बारे में एक बात कही है कि ये गवर्नर-गवर्नर कह रहे थे, गवर्नर साहब नहीं कह रहे। कैप्टन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नर अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी के शब्द के आगे साहब नहीं लगाया जाता। यदि लगाया जाता हो तो आप बतायें। (शोर एवं व्यवधान) नाम के आगे साहब नहीं लगाया जाता। डाक्टर को डाक्टर कहा जाता है, डाक्टर साहब नहीं कहा जाता। इस लेटर में भी कहीं गवर्नर साहब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गवर्नर लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : वह एक्सीलेंसी होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें भी कहीं गवर्नर साहब नहीं लिखा हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी सी क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूँ If a Bill is passed by the Assembly only, it is not legislature. If Governor is not included then it is not a legislature. Legislature is above the Governor and the Assembly.

प्रो० सम्पत सिंह : सर, जहां तक गवर्नर साहब का सवाल है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब का मौजूदा सरकार पूरा सम्मान करती है और सवाल नाम का नहीं उनके पद का है। आदमी और नाम बदलते हैं, सवाल नाम का नहीं है। हम गवर्नर साहब के पद का पूरा सम्मान करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर साहब असेम्बली के पार्ट एंड पारसल हैं और यह संविधान में भी दिया हुआ है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम मात्र इस बिल की बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने यह बिल रि-कॉन्सिडरेशन के लिये भेजा है उन्होंने जिन बातों पर प्वायंट आउट किया है उन बातों पर यहां चर्चा हो रही है। उन पर चर्चा के बाद जो नतीजा निकलेगा वह गवर्नर साहब को भेज दिया जायेगा। जहां तक गवर्नर साहब की बात है इन उनकी चेयर का पूरा आदर करते हैं। जहां तक चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते समय यह कहा कि सरकार की मंशा 120 दिन पहले चुनाव कराने की है। सरकार की मंशा 120 दिन पहले चुनाव कराने की नहीं है और न ही इस तरह का प्रावधान एक्ट में है। कैप्टन साहब, आप भी बार-बार यही बात कह रहे थे। यह कहाँ लिखा है कि 120 दिन पहले चुनाव कराने जा रहे हैं यदि लिखा है तो आप पढ़कर सुनायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा था कि सरकार की मंशा है 120 दिन पहले चुनाव कराने की।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, संविधान के एगेंस्ट कौन जा सकता है, 120 दिन पहले चुनाव कराने का प्रावधान एक्ट में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप पढ़ें तो सही कि 120 दिन क्या है ? वे नोट एक्सीडिंग है। पहले 60 दिन का था कि 60 दिन से ज्यादा एक्सीडिंग नहीं कर सकते और अब यह है कि 120 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। यह नहीं कि 120 दिन पहले सरकार चुनाव करायेगी। 120 दिन पहले चुनाव नहीं करा सकते इस तरह का कोई प्रविजन नहीं है। स्पीकर साहब, 2 पंच और खरपंच नहीं होंगे। पहले वाला इलैक्टिड मैम्बर है और जध से उसने

[प्रो. सम्पत सिंह]

औथ ली है तब से लेकर उसकी अवधि खत्म होने तक वही मੈम्बर रहेगा। जब तक नया आदमी औथ नहीं लेगा तो पुराने आदमी ही काम करते रहेंगे। राज्य सभा का जो मੈम्बर होता है वह 6 वर्ष तक की अवधि का होता है लेकिन कुछ नये मੈम्बर चुन लिये जाते हैं लेकिन जब तक पुरानों की अवधि समाप्त नहीं होती वे राज्यसभा के मੈम्बर बने रहते हैं। उसकी प्रकार से ये होंगे। एक इन्होंने कह दिया कि टर्म क्यों घटा रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हम कोई टर्म नहीं घटा रहे। इन सभी की 5 साल की टर्म बनी रहेगी। जब उनकी औथ की टर्म पूरी हो जायेगी तभी जा कर उनकी अवधि समाप्त होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यदि कोई पंच या सरपंच चुनाव हार जायेगा तो वह कहाँ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : वह अपने घर जायेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, 5 साल की एक आदमी की टर्म है और वह अपनी 5 साल की अपनी टर्म पूरी करेगी। वह आदमी चुनाव लड़े या न लड़े उसकी मर्जी है। वह चुनाव जीतता है या हारता है वह अलग बात है लेकिन मौजूदा पंच या सरपंच पूरे 5 साल तक रहेगा।

श्रीधरी भजन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, अगर सरकार की यही मंशा है कि 120 दिन से पहले कोई चुनाव नहीं करा सकते तो फिर हम इसे यूनानीमसली पास क्यों नहीं कर देते। पंचायत का चुनाव सिर्फ 21 दिन पहले करवाने का फायदा है। जबकि इनकी नियत समय से पहले चुनाव करवाने की है ताकि लोगों का आपस का भाईचारा बिगड़े।

प्रो० सम्पत सिंह : हम 120 दिन से पहले चुनाव नहीं कराएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अब तो आप ये चुनाव करवा ही नहीं सकते।

श्री बंसी लाल : अगर 120 दिन से पहले चुनाव नहीं करवाने हैं तो फिर इसमें अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अफसोस यह है कि इन भाइयों को इस बारे में पूरा पता नहीं है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, *****

श्री अध्यक्ष : डॉ० कादियान जी आप बैठिये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

प्रो० सम्पत सिंह : पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट की बात हो या गवर्नर साहब की बात हो हम इसे लाईटली नहीं ले रहे। इनका यह कहना कि इलैक्शन करवाने से गांव उजड़ जायेंगे या फलां हो जायेगा जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह समझती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकती। असेम्बली के चुनाव और पंचायत चुनाव टाईम पर होंगे। यह कहना कि कोई झगड़ा हो जायेगा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सदन की जनकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद 5 साल की अवधि में कई प्रकार के चुनाव हुए। इन चुनावों में कहीं पर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की कहीं पर कोई एफ०आई०आर० दर्ज हुई है। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सेंटर के मिनिस्टर ऑनरेबल

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मनी शंकर अय्यर जी हैं उनकी बात को ये मानें या न मानें। (विघ्न) ऑनरेबल सेंटर के मंत्री ने कहा था। (विघ्न) मैंने कह दिया है और मैंने जो कहा है वह रिकार्ड में है आप पढ़ लेना। (विघ्न) स्पीकर साहब, ऑनरेबल मनी शंकर अय्यर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है it is nothing unconstitutional. उन्होंने इस बात को माना है। ये लोग इसे मानें या न मानें वे सेंटर की सरकार के ऑनरेबल मन्त्री हैं और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। जहां तक ये टर्म को घटाने बढ़ाने की बात कह रहे हैं और यह टर्म घटाने-बढ़ाने की बात उस पार्टी के लोग करें जो खुद यह सब करते रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी भी वापिस वहीं पर आ गए हैं। कौन सी पार्टी है जो कहती है 3 से अब 5 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, नॉट ऑफ पंचायत, मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ जिसे दुनिया अभी तक भूली नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अनैमोक्रैटिकली और अन-कांस्टीच्यूसनली कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनका हनन करके 5 साल से 6 साल लोक सभा की टर्म बढ़ाई थी। उस वक्त ऐसे हालात हो रहे थे कि आइंदा के लिए लोक सभा के चुनाव न हों और यह टर्म चलती रहे। इनको उस वक्त की बात याद आनी चाहिये। स्पीकर साहब, ये लोग बोलें और कोर्ट की बात करें। आपको याद होगा कोर्ट के बारे में इसी देश के प्रधान मन्त्री के चुनाव को एज एमपी० चुनींती दी गई थी और रिट पैटीशन में उनके ओपोज़िशन जीत गए थे और उनके चुनाव को नल एण्ड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट में अर्मेडमेंट ला कर प्राइम मिनिस्टर के पद के अदालत के प्रिन्सिपल से निकाला गया था। स्पीकर साहब, यह लोग कोर्ट का जिक्र करते हैं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट की बात बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग थोड़ी हिस्टरी तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग थोड़ी ब्रीफ हिस्टरी सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हमें कोर्ट की इज्जत करनी आती है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) यह तो सध्याई है। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी मजन लाल भी कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कोर्ट की कद्र करते हैं, हम कांस्टीच्यूसन की कद्र करते हैं लेकिन इन लोगों ने कोर्ट की कद्र नहीं की थी इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा की टर्म 5 साल से 6 साल बढ़ाई और जहां तक कांस्टीच्यूसन की कद्र करने की बात है वह भी मैं क्लीयर कर देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, चाहे किसी भी कोर्ट का फैसला आ जाए, चाहे सबोर्डिनेट कोर्ट का फैसला हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो हम कोर्ट के हर फैसले को मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं लेकिन इन लोगों ने कोर्ट के फैसलों के अगेन्स्ट संवैधानिक संशोधन किया और संशोधन करके प्रधान मंत्री को संविधान से ऊपर करके छोड़ दिया। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

वाक-आउट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : यदि आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम ऐज ऐ प्रोटेस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष : यह तो सब को पता ही था जो सुर-सुर कर रहे थे तो मुझे पहले ही पता था कि ये वाक-आउट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, अभी दो बिल और आने हैं। दो बिल अभी बकाया हैं इनके लिए तो आपको हाउस में रहना चाहिए। बात सुनने की भी थोड़ी सी हिम्मत रखें। किस तरह दूसरों पर पत्थर फेंकते हों तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो। (शोर एवं व्यवधान) अब सुनने में भिर्च लगती है और हाउस छोड़ कर भागते हो। मुझे पहले ही पता था कि आप लोग भागेंगे। हम कितना संयम में रहे, क्या आपको इस बात का ध्यान है, अब आप कांख में बस्ता ले कर चल पड़े। पहले भी इस तरह से थले गए थे और अब भी चल पड़े हो। अभी दो बिल और आने हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, इनका यह हाल है। अखबार में खबर देते हैं कि बड़ा हंगामा खोज सेशन होगा, पहाड़ तोड़ देंगे और अब यह हाउस छोड़ कर जा रहे हैं। (विघ्न) ये जनता के बीच में जा कर क्या जवाब देंगे। इन लोगों को तो चुल्हू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ये लोग टिक कर बैठ भी नहीं सकते। (विघ्न एवं शोर)

विधान कार्य (पुनरासम्भ)

दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 2004

(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

18.00 बजे प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये कानून की कदर और संविधान की कदर करना कितना जानते हैं। जिन लोगों ने कानून की अवहेलना करी हो, संविधान की अवहेलना करी हो और हाईकोर्ट की जर्जमेंट की अवहेलना करी हो उनको क्या पता है। (शोर) स्पीकर सर, जो कुछ हमने कहा है, जो बिल हमने पहले पास किया था उसमें अन-कांस्टीच्यूसनली कुछ भी नहीं है, इतलीगलीटी कुछ नहीं है। (शोर) असेम्बली ने बकायदा इसको पास किया है और मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। हम हर कांस्टीच्यूसन की इन्सटीच्यूसन का मान-सम्मान करते हैं और इन्सटीच्यूसन की इज्जत करते हुए हमने इस बिल पर अपने कमेंट्स

दिए थे। अब इन्होंने यहाँ पर गवर्नर साहब की बात कर दी है और कैप्टन साहब ने आर्टिकल 200 पढ़कर सुना दिया। (शोर) उसमें लिखा है कि There are four courses open to a Governor....

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्यारेंट आफ आर्डर।

Mr. Speaker : Mange Ram Ji, please sit down. It is not a matter of right. (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा डेकोरम बनवाएं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। (शोर) मेरे भी कुछ राईट हैं। (शोर) मैं अपने राईट्स के बारे में जानता हूँ।

Prof. Sampat Singh : It is mentioned—

“Governor’s assent to a Bill.”

(शोर) सर, इसमें आगे लिखा है। (शोर)

“There are four courses open to a Governor to whom Bill passed by a State Legislature is presented for assent to the Governor.

1. Assents
2. Withholds
3. Reserves
4. Returns the Bill, if not a Money Bill for reconsideration with his message, “This is to be done as soon as possible after the presentation of the Bill”.

श्री अध्यक्ष : आप बीच में मत बोलें। (शोर) उनकी मर्जी है। वे जवाब दे रहे हैं और जो चाहेंगे बोलेंगे। (शोर) आप उनको अपने हिसाब से बोलने के लिए नहीं कह सकते हैं। आप बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं केवल मात्र आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ और आपको ही सम्बोधित करके बोल रहा हूँ। मेम्बर साहेबान, मुझे एकसाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ। स्पीकर सर, यह बिल रिकंसीड्रेशन के लिए भेजा है इसलिए मैं उसका फेट बता रहा हूँ। आप सुनें मैं उस के बारे में ही बात रहा हूँ। The Governor’s action in this regard has been held to be non-justifiable. See undersigned cases. Purshoram Versus State of Kerala AIR 1962, (SC), 694. इसी तरह से Bharat Sain Ashram Versus State of Gujrat, AIR, 1987(SC), 494. स्पीकर सर, आसरेखी यह है कि जब आप रिकंसीड्रेशन के लिए भेजेंगे तो इस बारे में गवर्नर साहब क्या रोकथाम लेंगे। यह तो गवर्नर साहब की पावर है हम इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। संविधान ने उनको पावर दी हुई है, हम न उस पर डिबेट कर रहे हैं और न ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, हम उनकी पावर को मानते हैं और उनकी पावर का सम्मान करते हैं। जो उनकी पावर होंगी वह सँभाल कर लेंगे। आप और इन पहले क्यों सोचें कि अगर यह बिल दोबारा जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। यह तो गवर्नर साहब पर डिपेंड करता है, जो उनकी पावर है वे उस हिसाब से काम करेंगे और असेम्बली अपने हिसाब से काम करेगी। इसलिए इस पर एतराज करने वाली कोई बात नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब तो रिप्लाय भी आ चुका है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० सम्पत सिंह जी से जानना चाहूँगा कि यह बिल पास हो जाएगा और यह भी ठीक है कि 120 दिन पहले चुनाव करवाने की बात कह रहे हैं। (शोर) आप यह बलाएँ कि यह बिल पास होने के बाद क्या स्टेट इलैक्शन कमीशन 120 दिन की बजाएँ 100 दिन पहले चुनाव नहीं करवा सकेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : यह तो उनकी मर्जी है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव चाहें आप 120 दिन बाद, 119 दिन बाद या 100 दिन बाद करा लें लेकिन मैं सम्पत सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पास होने के बाद अगर 100 दिन पहले स्टेट इलैक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए तो जो सीटिंग सरपंच है और यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वह नये बनने वाले सरपंच के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगा और यदि ऐसा होगा तो वह उसके खिलाफ अपनी पंचायत की पावर का, पंचायत के फंडज का बड़ा भारी मिसयूज करेगा इसलिए हमारा कहना यह है कि इससे बड़े भारी क्लेश हो जाएंगे। (विघ्न) स्पीकर साहब, चाहे उसको कुछ भी लुटाना पड़े लेकिन वह अपनी हार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से सरकार अपना खजाना लुटाने लग रही है तो वह सरपंच भी चुनाव जीतने के लिए इसी तरह से पंचायत के फंडज का मिसयूज करेगा। इसलिए हमारा कहना है कि आप इस तरह से खजाना क्यों लुटवाने लग रहे हो।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठिए। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मांगे राम जी ने ऐसी कोई विशेष नयी बात तो नहीं कही जिसका जवाब दिया जा सके लेकिन इन्होंने एक बात यह जरूर कही कि सरपंच लूट मचाएगा, फलां लूट मचाएगा। अध्यक्ष महोदय, वह भी इलेक्ट्रिक बॉडी हैं इसलिए किसी इलेक्ट्रिक मैम्बर के खिलाफ इनको इस तरह कहना शोभा नहीं देता। जहाँ तक फंडज को लुटाने की बात है किसी को भी यह अधिकार नहीं है क्योंकि सबके लिए कानून बना हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपने तो यहाँ बेरी का भेला बना दिया है। आप बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह एम.एल.ए. हो भेरा कहना यह है कि कानून सबके लिए है। चाहे वह पंच हो, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह एम.एल.ए. हो या चाहे वह एम.पी. हो अगर कोई लूट मचाएगा तो वह जेल जाएगा। लूट कोई नहीं मचाने देगा इसलिए मांगे राम जी को इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004, from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts :—

- “1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.
2. The Bill also does not seem to have considered that a period of 28 days is required for conducting the panachayat elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days respectively to complete the process of Panchayat elections. In the case Punjab Panchayati Union versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:—

“... on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiated process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribed any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election....”

Therefore, the existing provision of Section 161 (1)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed again.**Finance Minister (Prof. Sampat Singh) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed again.

*The motion was carried as passed earlier.***दि हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज (अमैडमेंट) बिल, 2004****Mr. Speaker :** Now, a Minister will introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004 and also move the motion for its consideration.**Finance Minister (Prof. Sampat Singh) :** Sir, I introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर सर, यह जो बिल लाया गया है उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन आपके माध्यम से सरकार को यह सलाह देना चाहता हूँ कि खाली पंजाबी लैंग्वेज को इंकलूड करने से काम नहीं चलेगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) पंजाबी भाईयों को प्रदेश में पूरा आदर और सम्मान भी मिलना चाहिए। *****

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल ने ये जो शब्द कहे हैं। ये रिकार्ड न किए जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज तो करार दिया है लेकिन यह स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है और अगर ऐसा किया जाता है तो अध्यापकों की भी व्यवस्था करनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में कितने पंजाबी अध्यापक होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप पहले यह बतायें कि आप इस बिल के फेवर में बोल रहे हैं या इस बिल को अपोज कर रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के फेवर में बोल रहा हूँ। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ कि केवल बिल लाने से बात नहीं बनेगी, पंजाबी लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी आप बैठिये। मैं इशारे से नहीं चलता, न तो आपके और न ही कादयान जी के, इसलिए आप बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कर्ण सिंह दलाल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यह कर्ण सिंह दलाल जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में वजीर हुआ करते थे जब इन्होंने चौधरी बंसी लाल जी को यह सलाह दी होती कि तेलगू भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा न बनाये तो अच्छा होता। इनको पता था कि यहाँ तेलगू बोलने वाला एक भी नहीं है। तेलगू भाषा को हरियाणा प्रदेश की दूसरी भाषा बनाना चौधरी बंसी लाल जी आप पर लानत है। यह क्या सोचकर बनाई थी आपने, किसलिए बनाई थी कोई बात हुई।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास दोहराता रहता है। मैं चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पंजाब-हरियाणा का बंटवारा हुआ था तब पंजाबी लैंग्वेज की प्रतिज्ञा जलाकर, चौधरी देवीलाल जी ने पंजाबियों का विरोध किया था।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : यह बिल्कुल निराधार, बेसलैस और अनर्गल बात है। चौधरी देवीलाल ने हर जाति को पूरा सम्मान प्रदान किया। चौधरी देवीलाल की धजह से ही आज हम हरियाणा प्रदेश में बैठे हुए हैं चरना आज हरियाणा नहीं होला। चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल इनका विरोध करने वाले थे। इनके तो ड्राईसैटिंग नोट लिखे हुए हैं।

श्री बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश मेरे दस्ताखतों से बना था उस समय चौधरी देवीलाल और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला तो राणनीति में पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, *****

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जो कर्ण सिंह दलाल कह रहे हैं वे शब्द रिकार्ड न किए जाएं। कर्ण सिंह जी, आप बैठिये।

परिवहन मंत्री (श्री अशोक अरोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा कि पंजाबियों का सम्मान नहीं किया गया। इस सरकार ने पंजाबियों को पूरा सम्मान दिया है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि पंजाबियों को अपमानित तो चौधरी बंसी लाल जी ने और चौधरी भजन लाल जी ने किया है जो सामने इकट्ठे बैठे हुए हैं।

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशन फौजी, आप बैठ जायें। मैंने मंत्री जी को बोलने का समय दिया है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठिये। आपका प्वायंट ऑफ आर्डर होगा तो आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा।

श्री अशोक अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी ने पंजाबी भाषा की बजाए लेलगू भाषा को प्रदेश की दूसरी भाषा का स्थान दिया और चौधरी भजन लाल जी ने भी जब मौका मिला पंजाबियों को दबाया।

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अशोक अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने जब भी मौका मिला पंजाबियों को दबाने का और मारने का काम किया। उन्होंने तो बसों से उतारकर भी पंजाबियों को मारने का काम किया, उनको जलाने का काम किया और अपमानित करने का काम किया। इसी प्रकार राजनीतिक रूप से भी जब बाई-इलैक्शन हुए तो पंजाबियों की जो सीट होती थी उस सीट पर अपने रिश्तेदारों को टिकट दी या अपने क्षेत्र के लोगों को पंजाबियों की जगह सीट दी। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने जब भी मौका मिला राजनैतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से पंजाबियों को भागीदारी दी। आज पांच यूनिवर्सिटीज में से दो यूनिवर्सिटीज के वाईस चांसलर पंजाबी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, *****

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, पूरी अपोरच्युनिटी दी है आप उसका मिसयूज न करें। I warn you आप हाउस का डेकोरम बनाकर रखें, जो मैम्बरज चेयर की इजाजत के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री अशोक अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार में एक्सीक्यूटिव के चेयरमैन श्री एल.डी.मैहला पंजाबी हैं और एस.एस.सी. के चेयरमैन श्री ए.सी.बाबला भी पंजाबी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब आप बैठें, आपका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है, आपने हाउस का ठेका नहीं लिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

डा० रघुवीर सिंह कादियान : तो आपने हाउस का ठेका ले रखा है। *****

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैंने ले रखा है, कादियान साहब, I warn you हाउस आपकी बपीती नहीं है, आप अकेले बोलने वाले मेम्बर नहीं हैं। कादियान साहब जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। आप बैठें। आपने बिना इजाजत बोलने का ठेका नहीं ले रखा। अकेले आप बोलने वाले मेम्बर नहीं हैं। (विघ्न)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : प्वायंट आफ आर्डर पर तो बोल सकते हैं।

Mr. Deputy Speaker : Please take your seat.

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, * * * * *

(Interruption)

(At this stage, Dr. Raghuvir Singh Kadian did not resume his seat and continued speaking.)

Mr. Deputy Speaker : I name Dr. Raghuvir Singh Kadian. He may please leave the House. (Interruption).

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, * * * * *

(Interruption)

(At this stage, Dr. Raghuvir Singh Kadian continued arguing with the Deputy Speaker.)

Mr. Deputy Speaker : Nothing to be recorded. Dr. Raghuvir Singh Kadian you may please leave the House.

डा० रघुवीर सिंह कादियान : आप तो वाया भठिडा आ रहे हो, आपने सारे गुड़गांव को घेर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : गुड़गांव के बारे में मुझे तेरे से सर्टीफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं वाया भठिडा आया हूँ, मैं अपने दम पर आया हूँ और गुड़गांव के लोगों ने मुझे जिताना है। I have named you, You may leave the House. * * * करते हो, इनको बाहर निकालो। अकेले आप बोलने वाले नहीं हो, हर मेम्बर को यहाँ बोलने का अधिकार है। (विघ्न) यह हाउस है कोई मज्जाक नहीं है। (Noise and interruptions)

(At this stage Dr. Raghuvir Singh Kadian withdrew from the House.)

श्री कर्मा सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आपने भी वही करना है, आप बैठें मैं आपको समझदार समझता हूँ। आप भी जाना चाहते हैं। वह आदमी तो सुबह से ऐम लेकर चला है कि मुझे नेम करें।

* चेयर के आदेशानुसार एक्सपंज कप दिया गया।

सदस्य का मिलम्बन

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इनकी इन्टेंशन कुछ और है, वह इन्होंने साबित करके दिखाया, हमने चेयर से रिक्वेस्ट की थी कि ये डिसऑर्डरली बिहेव करने का प्रयास न करें, ये नेम करने का, सर्पेंशन का मौका न आने दें। लेकिन हर चीज की सीमा होती है हद होती है चेयर का अपमान हाउस का कोई भी मैम्बर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हाउस की चेयर के कस्टोडियन हैं, इस चेयर का अपमान होगा तो यह हाउस का अपमान होगा न कि चेयर का अपमान होगा। जिस तरीके से कादियान साहब का व्यवहार रहा है वह असंसदीय है और अशोभनीय है, एक मैम्बर बनने के लायक जो होता है वह ये नहीं है। इस तरह की भाषा कहीं भी जंगल में भी नहीं बोली जाती है, अनपढ़ भी सम्य तरीके से रहते हैं, सम्य तरीके से बोलते हैं, सम्य तरीके से व्यवहार करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया मेरे ख्याल से यह अनप्रेसीडेंट व्यवहार है इसमें केवल नेम नहीं करना चाहिए बल्कि भजद्वार होकर भारी दिल से मैं इनके बिहेविअर को देखकर, एक प्रस्ताव मूव करना चाहता हूँ क्योंकि सुबह से इन्होंने कितनी इंट्रूशन की हैं, इंट्रूट करें कोई बात नहीं उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाउस के 90 सदस्य हैं और सबको बोलने का अधिकार है। केवल मात्र एक मैम्बर यह समझे कि मैं ही हूँ बाकि कोई मैम्बर के लायक ही नहीं है तो इससे फालतू हाउस की अवमानना और कौन करेगा।

Sir, I beg to move—

That Dr. Raghuvir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and his grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That Dr. Raghuvir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Dr. Raghuvir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

The motion was carried.

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, यदि आप बिल पर बोलना चाहते हैं तो बोलें। आपके जिस साथी को सर्पेंड किया गया है वह तीन बजे से हाउस की कार्यवाही में बाधा डाल रहा था। उस

बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप बैठ जायें। वह आपसे सीनियर नहीं है जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था उस समय वह बार-बार आपके पास आकर कभी कुछ कभी कुछ कह रहा था।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, 2004

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार पंजाबी भाषा को दूसरी ऑफिशियल भाषा बनाने के बिल में जो अमेंडमेंट लेकर आई है उसके साथ-साथ इस भाषा को आगे बढ़ावा देने के लिए जहाँ अध्यापकों की जरूरत है वहाँ अध्यापकों का प्रबन्ध करायें। इसके अतिरिक्त गाँवों, शहरों, बार्डों आदि में यदि पंजाबी भाषा की एक्स्ट्रा क्लासिज लगाई जायेंगी तो इस भाषा को और बढ़ावा मिलेगा।

नित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब ने पंजाबीज के बारे में सारी बातें अभी बतानी हैं और जहाँ तक सरकार पंजाबी भाषा को दूसरी ऑफिशियल भाषा बनाने के बिल में जो अमेंडमेंट लेकर आई है इस अमेंडमेंट को समी को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा पहले दोनों एक स्टेट हुआ करते थे। यहाँ पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाएँ बोली जाती थी और आज भी हमारे राज्य में हिंदी के बाद पंजाबी बोलने वालों की संख्या अधिक है। हमारी सरकार ने इस बात की कदर करते हुए यह अमेंडमेंट लेकर आई है ताकि ऑफिशियल तौर पर पंजाबी को दूसरी भाषा माना जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम यह बिल लेकर आये हैं इसके बाद इस पर कार्यवाही होगी। जहाँ पर पंजाबी के अध्यापकों की आवश्यकता होगी वहाँ अध्यापक भी लगाये जायेंगे और इस भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। जहाँ-जहाँ इस भाषा का इस्तेमाल होगा वहाँ किया जायेगा इससे पंजाबी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। श्री कर्ण सिंह दलाल को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी सरकार ने आते ही हरियाणा में पंजाबी एकेडमी बनाई ताकि यह एकेडमी पंजाबी के लिटरेचर पर रिसर्च कर सके और पंजाबी भाषा को बढ़ावा मिल सके। इसलिए मैं समी से अनुरोध करता हूँ कि यह बिल यूनानीमसली पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर्स बिल, 2004

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Health Care Workers Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Health Care Workers Bill, 2004

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 24

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M.

tomorrow.

18.35 hrs

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 2nd December, 2004.)

